अध्याय - 3

क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना और पुनर्निर्माण

अध्याय-3: क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की आयोजना एवं पुनर्निर्माण

3.1 परिचय

विशेष आयोजनागत सहायता, केंद्र पोषित योजनाओं (के पो यो - पु) एवं केंद्रीय योजना सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत पुनर्निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने थे परन्तु इन्हें भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्य में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मार्च 2017 तक विस्तारित / अनुमत (अक्टूबर 2016) किया गया था। आगे, उत्तराखण्ड सरकार स (उ स) और एशियन विकास बैंक (ए वि बैं) / विश्व बैंक (वि बैं) के बीच निष्पादित ऋण समझौते के अनुसार ए वि बैं द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) और वि बैं द्वारा वित्तपोषित उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) क्रमशः मार्च 2017 और दिसंबर 2017 तक पूर्ण की जानी थी।

राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन निधि (राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि) ₹ 274.43 करोड़ वर्ष 2013-14 के दौरान आवश्यक और तत्काल प्रकृति के बुनियादी ढाँचे की पुनर्स्थापना के लिए थे। विशेष आयोजनागत सहायता-पुनर्निर्माण (वि आ स - पु) केवल पाँच गंभीर रूप से प्रभावित जिलों के लिए दी गयी थी जबकि उ आ स प, उ आ रि प, के पो यो - पु और राज्य आ मो नि की निधियाँ सभी जिलों के लिए थी।

राज्य सरकार के संबन्धित कार्यकारी विभागों / एजेंसियों को मध्यम और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण (म और दी पु) पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। 31 मार्च 2018 को कार्यपूर्ति की स्थिति नीचे **चार्ट-3.1** में दिखायी गयी है:

चार्ट-3.1: 31 मार्च 2018 को वित्तपोषण स्रोतवार कार्य की स्थिति

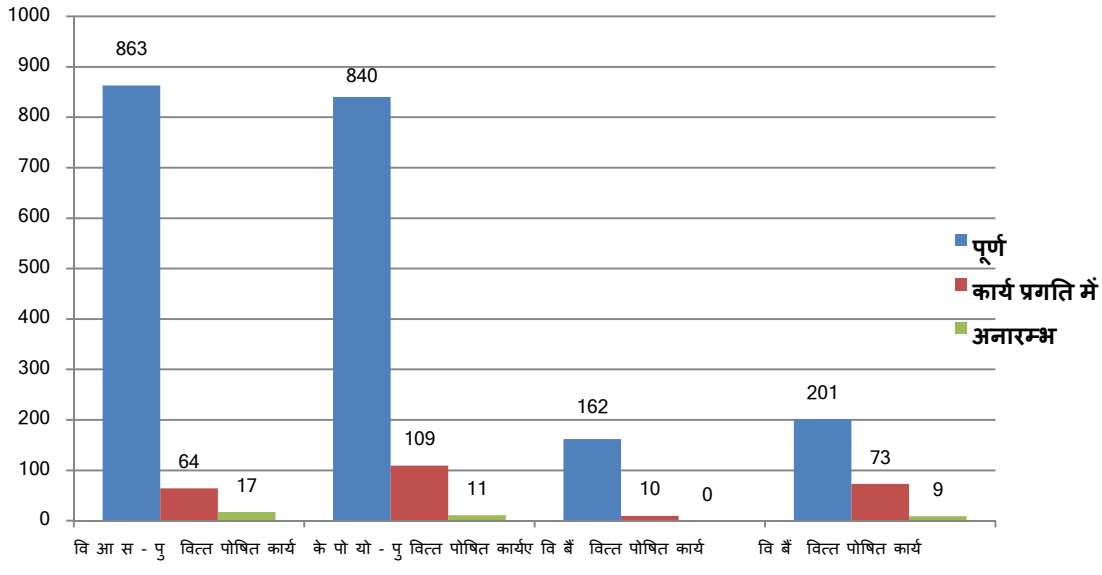

स्रोत: संबन्धित नोडल अभिकरणों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

कार्यों के पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि एवं 31 मार्च 2018 की स्थिति का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट-3.1*** में दिया गया है।

म और दी पु के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरणों द्वारा पहचान की गई क्षतिपूर्ति, योजना और पुनर्निर्माण कार्यों के निष्पादन के क्षेत्रवार विवरणों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

3.2 मार्ग, सेतु और पैदल मार्ग

मार्ग राज्य की जीवनरेखा हैं क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 90 *प्रतिशत* यात्रियों और सामान का आवागमन सड़क से होता है। यह क्षेत्र लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) द्वारा प्रशासित किया जाता है जो मार्गों और सेतुओं की योजना, निर्माण और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। जून 2013 की आपदा के समय राज्य में समग्र मार्ग नेटवर्क लगभग 28,199 किमी[36] और 1,773 मोटर सेतु (मो से) थे। इसके अतिरिक्त, लो नि वि 3,736 किलोमीटर पैदल मार्गों और 1,073 पैदल सेतु भी प्रशासित करता है।

संयुक्त त्वरित क्षति और आवश्यकता आंकलन (सं त्व क्ष और आ आं) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2013 की आपदा ने लगभग 2,174 मार्गों (8,908.78 किमी[37]), 85 मोटर सेतुओं, 140 पैदल सेतुओं और लगभग 4,200 गांवों से सम्पर्क को वृहद रूप से नुकसान पहुंचाया था। सम्पर्क मार्गों के नुकसान के कारण खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जनसंख्या की आजीविका बुरी तरह प्रभावित थे और पर्यटन गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हुई जो आबादी पर आपदा के असर को बढ़ा रहे थे।

राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भा स से मार्गों और सेतु क्षेत्र के लिए ₹ 3,456.80 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत ₹ 2,108.49 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। 7,290 किमी लम्बाई के राज्य राजमार्गों (रा रा), मुख्य जिला मार्ग (मु जि मा), अन्य जिला मार्ग (अ जि मा), ग्रामीण मार्ग (ग्रा मा) और इनके सेतुओं की मरम्मत / पुनर्निर्माण के लिए धनराशि म और दी पु पैकेज में शामिल की गई थी, जबकि प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों (रा रा मा), सीमा सड़क संगठन (सी स सं) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र म ग्रा स यो) की मार्गों के लिए धन सीधे भा स द्वारा उपलब्ध कराया गया।

म और दी पु पैकेज (वा स प और वि आ स - पु) के अन्तर्गत नियोजित / स्वीकृत कार्यों के विवरण नीचे **तालिका-3.1** में दिए गए हैं:

---

[36] 1,151 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग, 3,788 किमी राज्य राजमार्ग, 3,290 किमी मुख्य जिला मार्ग, 2,945 किमी अन्य जिला मार्ग, 15,402 किमी ग्रामीण मार्ग, 1,623 किमी सीमा सड़क संगठन की सड़कें।

[37] मोटर मार्ग- 8,472.43 किमी और सेतु मार्ग- 436.35 किमी।

तालिका-3.1: वित्तपोषण के प्रत्येक स्रोत के तहत योजनाबद्ध / स्वीकृत कार्यों का विवरण

मार्गों के प्रकार	ए वि बैं वित्त पोषण (उ आ स प)		वि बैं वित्त पोषण (उ आ रि प)		वि आ स - पु वित्त पोषण[38]	
	नियोजित मार्गों की लंबाई *(किमी)*	अनुमोदित परिव्यय *(₹ करोड़ में)*	नियोजित मार्गों की लंबाई *(किमी)*	अनुमोदित परिव्यय *(₹ करोड़ में)*	नियोजित मार्गों की लंबाई *(किमी)*	अनुमोदित परिव्यय *(₹ करोड़ में)*
राज्य राजमार्ग	1,800	708*	-	-	175	300*
मुख्य जिला मार्ग			-	-		
उ रा स सु का[39] मार्ग	600		-	-	-	
अन्य जिला मार्ग	-	-	675	930	-	
ग्रामीण मार्ग	-	-	3,600		-	
पैदल मार्ग	-	-	440		-	
कुल (मोटर मार्ग)	***2,400***	***708***	***4,715***	***930***	***175***	***300***
मोटर / पैदल सेतु	**16**		**140**		**14**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े । **** पुलों की लागत सहित***

उ आ स प और उ आ रि प के पुनर्निर्माण कार्यों को लो नि वि के समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) द्वारा प्रबंधित / निष्पादित किया गया था जबकि वि आ स - पु और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के पुनर्निर्माण कार्यों को सीधे लो नि वि के अपने क्षेत्रीय खंडों के माध्यम से प्रबंधित / निष्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा में आच्छादित पाँच जिलों के साथ-साथ पूरे राज्य के लिए प्रत्येक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वास्तविक संख्या का विवरण नीचे **तालिका-3.2** में दिया गया हैं:

तालिका-3.2: जिलेवार स्वीकृत कार्यों का विवरण ***(लागत / प्रगति ₹ करोड़ में)***

जिले का नाम	उ आ स प के कार्य			उ आ रि प के कार्य			वि आ स - पु के कार्य		
	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति	स्वीकृत कार्य		वित्तीय प्रगति
	सं.	लागत	(03/2018)	सं.	लागत	(03/2018)	सं.	लागत	(03/2018)
वागेश्वर	09	41.47	36.25	26	126.80	109.45	102	24.44	24.23
चमोली	15	112.29	105.08	40	209.90	151.58	27	26.11	22.29
पिथौरागढ़	10	104.04	46.41	33	198.24	103.69	46	31.54	15.84
रुद्रप्रयाग	05	36.22	28.39	35	110.24	83.62	50	86.89	72.24
उत्तरकाशी	10	71.25	60.06	28	90.28	75.69	300	149.47	122.73
कुल	***49***	***365.27***	***276.19***	***162***	***735.46***	***524.03***	***525***	***318.45***	***257.33***
सम्पूर्ण राज्य में	**119***	**924.12**	**819.08**	**262**	**1,050.99**	**782.54**	**525**	**318.45**	**257.33**

****मार्ग / सेतु के 110 कार्य (₹ 860.30 करोड़) और 9 पैदल मार्ग (₹ 63.82 करोड़)।***

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पाँच चयनित जिलों के संबन्धित जिलाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अन्तर्गत ₹ 67.30 करोड़ के 718 कार्यों की स्वीकृति प्रदान किए गए थे।

स्वीकृत कार्यों की समग्र स्थिति का आंकलन पाँच नमूना जिलों के साथ-साथ नोडल प क्रि इ और प्रमुख अभियन्ता (प्र अ) लो नि वि, देहरादून, के स्तर पर की गई:

---

[38] वि आ स - पु वित्तपोषण गंभीर रूप से प्रभावित पांच जिलों के उन अतिरिक्त क्षतिग्रस्त कार्यों / सेतुओं के लिए थी जो उ आ स प / उ आ रि प का हिस्सा नहीं थे।

[39] नवंबर 2006 से ए वि बैं वित्तपोषण के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम (उ रा स सु का) लागू किया जा रहा है।

- वि आ स - पु द्वारा वित्तपोषित ₹ 210.46 करोड़ के 117 कार्य (22 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 66 *प्रतिशत* है;
- उ आ स प द्वारा वित्तपोषित ₹ 236.30 करोड़ मूल्य के 35 कार्य (29 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 26 *प्रतिशत* है;
- उ आ रि प द्वारा वित्तपोषित ₹ 302.47 करोड़ मूल्य के 55 कार्य (21 *प्रतिशत*) जो कुल स्वीकृत लागत का 29 *प्रतिशत* है; एवं
- चयनित प क्रि इ को राज्य आ मो नि के अन्तर्गत स्वीकृत ₹ 67.30 करोड़ के कुल 718 कार्यों में से ₹ 18.56 करोड़ (28 *प्रतिशत*) मूल्य के 86 कार्य (12 *प्रतिशत*)।

3.2.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.2.1.1 नोडल एजेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त कार्यों की अनुचित पहचान और नियोजन

उ स ने राज्य के सभी कार्यकारी विभाग को जून 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त भौतिक आधारभूत संरचना की त्वरित पहचान / आंकलन के लिए निर्देशित (4 जुलाई 2013) किया और नुकसान की मात्रा का आंकलन और तदानुसार धन का प्रावधान किये जाने हेतु इसके विवरण[40] सरकार / सं त्व क्ष और आ आ मिशन को प्रदान करने के लिए कहा।

निम्नलिखित विसंगतियां पायी गईं:

- वि आ स - पु की अनुमोदित सूची (525 कार्य) के अन्तर्गत ₹ 15.65 करोड़ की लागत के 119 सड़क कार्य जून 2013 आपदा के कारण होने वाली क्षति से सम्बन्धित नहीं थे। लो नि वि द्वारा ये कार्य वर्ष 2012-13 में विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन के लिए पहले से ही स्वीकृत[41] थे, जो यह दर्शाता है कि आगणन और वित्तपोषण का स्रोत पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। म और दी पु पैकेज केवल उन कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट था जो 2013 की आपदा से संबन्धित थे। इस प्रकार, विभाग ने म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत उन कार्यों की सिफारिश की जो 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त नहीं थे।
- वि आ स - पु की स्वीकृत सूची में शामिल ₹ 37.99 करोड़ लागत के 73 कार्य वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के अन्तर्गत भी शामिल किये गए थे। बाद में, इन कार्यों की स्वीकृतियां ₹ 1.25 करोड़ के व्यय के बाद रद्द कर दी गई। इसलिए, विभाग वित्तपोषण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत इन कार्यों के प्रस्ताव भेजते समय उचित सतर्कता बरतने में असफल रहा था।
- रद्द किए गए कार्यों के बदले और वि आ स - पु के अन्य कार्यों की बचत को समायोजित करने के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 72.05 करोड़ लागत के 123 कार्य (117 मार्गों और 6 सेतुओं) को बाद में (2015 और 2016) स्वीकृत किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन कार्यों की स्वीकृति से पहले भा स से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।

---

[40] आवश्यक सहायता के क्षेत्र, विभिन्न संपत्तियों के लिए धन की आवश्यकता का अनुमानित अनुमान, क्षतिग्रस्त संपत्तियों को शामिल करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं के पुनर्गठन का दायरा, और परियोजना प्रस्तावों की तैयारी के लिए प्रस्तावित समय-सारिणी।

[41] केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में वि आ स के अन्तर्गत स्वीकृत था।

- ए वि बैं सहायतित उ आ स प के अन्तर्गत रा रा, मु जि मा और शहरी मार्ग एवं वि बैं सहायतित उ आ रि प के अन्तर्गत ग्रा मा और अ जि मा के आच्छादन के लिए स्पष्ट निर्धारण के बावजूद लेखा परीक्षा में पाया गया कि ₹ 8.20 करोड़ की लागत का एक ग्रा मा (जिला उत्तरकाशी के फुल्चट्टी-जानकीचट्टी मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण) उ आ स प के अंतर्गत लिया गया था। यह सड़क उ आ रि प की क्षतिग्रस्त मार्गों की सूची में भी शामिल नहीं थी। विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि परिवर्तन उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति (उ प्रा स) की स्वीकृति से किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम स्वीकृत / निष्पादित नहीं किया गया था।

- आपदा प्रबंधन विभाग, उ स ने उत्तरकाशी जिले के ऐसे 14 क्षतिग्रस्त सेतुओं[42] (₹ 54.10 करोड़) के पुनर्निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एन बी सी सी) (इण्डिया) लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध (मार्च 2013) गठित किया जो 2012 के मानसून या उससे पहले की अवधि के दौरान ढह गए थे / क्षतिग्रस्त हुये थे। हालांकि, जून 2013 की आपदा के फलस्वरूप, इन 14 सेतुओं के पुनर्निर्माण का कार्य म और दी पु पैकेज में (₹ 80.43 करोड़) वि आ स-पु के अन्तर्गत शामिल था। उ स द्वारा 12 सेतुओं (₹ 68.61 करोड़) का काम पुन: एन बी सी सी (इण्डिया) लिमिटेड को सौंपा गया और दो सेतुओं का काम (₹ 11.82 करोड़) लो नि वि के एक क्षेत्रीय खण्ड को दिया गया था। तदानुसार, उत्तरकाशी जिला के 12 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए लो नि वि और एन बी सी सी के बीच एक नया अनुबन्ध (₹ 68.61 करोड़) हस्ताक्षरित किया गया (फरवरी 2015)। एन बी सी सी द्वारा नवंबर-2017 तक केवल सात सेतुओं के कार्य को पूर्ण किया गया और शेष पाँच सेतुओं के कार्य अपूर्ण थे। यद्यपि, बाद में एन बी सी सी द्वारा सूचित किया गया (अगस्त 2018) कि 31 मार्च 2018 तक 10 पुलों का काम पूर्ण हो चुके थे और केवल दो सेतु अपूर्ण थे।

इस तरह, उ स द्वारा ₹ 80.43 करोड़ की लागत वाले इन 14 पुलों की पुरानी देयता को वि आ स - पु के 100 *प्रतिशत* केन्द्र पोषित घटक के हिस्से के रूप में म और दी पु पैकेज में शामिल किया गया जो कि केवल 2013 की आपदा से संबन्धित पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विनिर्दिष्ट था।

- इसके अलावा, एन बी सी सी द्वारा मार्च 2014 में ब्लॉक-डुंडा में नाकुरी-अथाली के पास भागीरथी नदी पर 80 मीटर लंबाई का स्टील ट्रस मोटर सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह कार्य पूरी तरह से नया था, जिसे अभिलेखों में 2012 में क्षतिग्रस्त पुराने पुल के पुनर्निर्माण के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि, चक्रवात / आंधी में सेतु की निर्माणाधीन संरचना के गिर जाने के कारण ₹ 7.10 करोड़ के व्यय के बाद भी मई 2016 के बाद से सेतु का निर्माण कार्य रुका हुआ था। सेतु का पुनर्निर्माण ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर (बीमा दावे के आधार पर) किया जाना था।

[42] कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच राज्य आ मो नि के अन्तर्गत 90:10 के अनुपात में स्वीकृत था।

तस्वीर (नवनिर्मित पैदल सेतु से लिया गया) नाकुरी और गिरे हुये मोटर सेतु जिसे 100 मीटर ऊपर की ओर निर्मित किया जा रहा है, दोनों कार्यस्थल को दर्शित कर रही है।

यह भी देखा गया कि इस मोटर सेतु का स्थल, एन बी सी सी लिमिटेड की एक अन्य परियोजना से करीब 100 मीटर दूर (ऊपर की ओर) स्थित था जहाँ 102 मीटर लंबाई के पैदल झूलापुल का निर्माण (जून 2016) ₹ 6.92 करोड़ की लागत से किया गया था जैसा कि पार्श्व में दी गई तस्वीर में दर्शित है (दोनों सेतु उन 12 सेतुओं में से थे जिन्हें निर्माण के लिए एन बी सी सी को सौंपा गया था)। अतः, न केवल मोटर सेतु की स्वीकृति एक नया काम होने के कारण अनियमित थी अपितु कम से कम पैदल झूलापुल के पुनर्निर्माण (₹ 6.92 करोड़) पर किए गए व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि दोनों सेतुओं का निर्माण एक ही स्थल व लक्षित आबादी के लिए किया जा रहा था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि ये सभी परिवर्तन उ प्रा स की उचित मंजूरी के साथ किए गए थे।

3.2.1.2 एक ही कार्य के लिए कई स्रोत से वित्तपोषण

म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत, उ स ने योजना बनाई थी कि रा रा, मु जि मा, अ जि मा, और ग्रा मा की बुरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कें या उसके भाग का पुनर्निर्माण कार्य वा स प के अन्तर्गत किया जाएगा और उन मार्गों का क्षतिग्रस्त भाग जो वा स प के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थी, को वि आ स - पु के अन्तर्गत वित्तपोषण के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिलाधिकारियों के निपटारे पर रखे गए राज्य आ मो नि का इस्तेमाल जून 2013 की आपदा के उपरान्त सभी तत्काल प्रकृति के मार्ग कार्यों जैसे मार्ग आवागमन को खोलना, के लिए किया जाना था।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय लो नि वि और नमूना परीक्षित क्षेत्रीय खंडों / प क्रि इ की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 20 सड़क कार्यों में एक ही कार्य को कई स्रोतों से वित्तपोषित किया गया था और कार्य के मदों की पुनरावृत्ति थी, जिससे ₹ 5.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ:

- 15 मार्ग कार्यों के पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख अभियन्ता, लो नि वि द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 3.65 करोड़ की धनराशि नौं क्षेत्रीय खंडों को इस तथ्य के बावजूद स्वीकृत की थी कि जून 2013 आपदा के बाद इन मोटर मार्गों की चिन्हित क्षतियों के पुनर्निर्माण के प्रस्तावों को वा स प (₹ 107.69 करोड़) के अन्तर्गत उ आ स प / उ आ रि प की जिला स्तरीय समर्पित प क्रि इ के द्वारा निष्पादन के लिए स्वीकृत थे ***(परिशिष्ट-3.2-अ)***।

- दो मामलों में, वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 0.72 करोड़ के कार्य उन मदों के लिए स्वीकृत किए गए थे जो 2013 की आपदा के बाद क्रमशः राज्य क्षेत्र (₹ 20.25 करोड़) और प्र म ग्रा स यो (₹ 26.46 करोड़) के अन्तर्गत पूरी तरह से पुनर्निर्मित किए जा रहे थे। इसके अलावा, वि आ स - पु के अन्तर्गत तीन मार्गों के लिए भी ₹ 1.15 करोड़ स्वीकृत किए गए थे (जून 2016) जिसमें राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विस्तार और सुदृढ़ीकरण (₹ 8.36 करोड़) के प्रमुख काम पहले से ही प्रगति पर थे और क्षति के किसी भी आवश्यक कार्यों को मौजूदा अनुबंधों में विचलन के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। स्रोतवार वित्तपोषण का विवरण ***परिशिष्ट-3.2-ब*** में दिया गया है।

विभाग द्वारा उत्तर (फरवरी 2018) में बताया गया कि वि आ स - पु की स्वीकृतियां क्षेत्रीय खंडों द्वारा मार्गों के उचित रख रखाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी जबकि वा स प से संबन्धित धनराशियों का उपयोग प्रमुख कार्यों के लिए किया गया था। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि राज्य आ मो नि 2013-14 के अंतर्गत तत्काल प्रकृति के कार्यों को पहले से ही स्वीकृत / निष्पादित कर दिया गया था। म और दी पु कार्यों को इस तरह से योजनाबद्ध / स्वीकृत करने की आवश्यकता थी कि मोटर मार्ग या मार्ग के हिस्से से संबन्धित पूरे कार्यों को एकल स्रोत वित्तपोषण और निष्पादित अभिकरण / खंड द्वारा आच्छादित किया जाय। इससे वि आ स - पु के तहत ₹ 5.52 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था जिसका इस्तेमाल कुछ अन्य क्षतिग्रस्त कार्यों के आच्छादन के लिए किया जा सकता था।

3.2.1.3 उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) को तैयार किया जाना

उ आ रि प (अ जि मा / ग्रा मा) की मार्ग एवं सेतु (मा और से) के कार्यों के लिए कुछ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) लो नि वि के क्षेत्रीय खण्डों द्वारा खण्डीय स्तर पर तैयार की गई थीं और कुछ वि प रि राज्य स्तरीय प क्रि इ (मा और से), देहरादून द्वारा अनुबंधित डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्श (डि एवं प प) फर्म के माध्यम से तैयार किए जाने थे।

प क्रि इ (मा और से) उ आ रि प, देहरादून की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प क्रि इ द्वारा आठ जिलों से संबन्धित 1,288.82 किमी सड़क लंबाई और 62 सेतुओं के लिए 317 वि प रि (जून 2014 और मार्च 2015 के बीच) को तैयार करने के कार्य को चार डि एवं प प फर्मों को सौंपा था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा ₹ 14.26 करोड़ की लागत से मार्गों और सेतुओं के लिए क्रमशः 108 और 61 वि प रि तैयार की गई। यद्यपि, उ प्रा स ने केवल 71 वि प रि (46 मार्गों और 25 सेतुओं) से संबन्धित कार्यों को मंजूरी दी और शेष ₹ 5.81 करोड़ की लागत से तैयार 98 वि प रि (62 मार्गों और 36 सेतुओं) अप्रयुक्त पड़ी रही।

विभाग द्वारा निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान उत्तर दिया गया था कि कुछ वि प रि को लो नि वि के नियमित खंडों को सौंपे जा रहे थे और सेतुओं की शेष वि प रि का उपयोग वि बैं से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर किया जाएगा।

3.2.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.2.2.1 नियत समय सीमा के भीतर कार्यों का पूर्ण न होना

वा स प वित्तपोषित कार्यों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उ आ स प वित्तपोषित कार्यों को पूर्ण किए जाने कि नियत तिथि मार्च 2017 तथा उ आ रि प वित्तपोषित कार्यों को पूर्ण किए जाने कि नियत तिथि दिसंबर 2017 के सापेक्ष प क्रि इ (मा और से) उ आ स प द्वारा कुल 110 कार्यों (₹ 861.78 करोड़) में से ₹ 557.45 करोड़ के 83 कार्य (75 *प्रतिशत*) पूर्ण किए जा सके और 27 कार्य प्रगति पर थे। आगे, प क्रि इ (मा और से) उ आ रि प द्वारा 262 कार्यों (₹ 1,050.99 करोड़) में से ₹ 419.84 करोड़ के मात्र 153 कार्यों (58 *प्रतिशत*) को पूरा किया जा सका जबकि 93 कार्य प्रगति पर थे और 16 कार्य लेखा परीक्षा की तिथि (अगस्त / सितंबर 2017) तक अनारम्भ थे। लक्षित समय-सीमा की गैर-उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद थी कि वा स प के

लगभग 66 *प्रतिशत* चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों (सड़क: 48 *प्रतिशत* और सेतु: 84 *प्रतिशत*) को आच्छादित नहीं किया गया था *(सन्दर्भ प्रस्तर 3.2.2.5)* और वहां कोई भूमि / स्थल की अनुपलब्धता का मुद्दा भी नहीं था, क्योंकि यह मौजूदा कार्यों के पुनर्निर्माण थे। कार्यों के पूरा होने में देरी के लिए मुख्य रूप से राज्य के दूरस्थ / पहाड़ी इलाके में प्रतिकूल कार्य परिस्थितियां; परियोजनाओं की तैयारी/स्वीकृति और कार्यों के अनुबन्ध में देरी; और कई मामलों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन, जिम्मेदार थे।

छः नमूना परिलक्षित पैदल मार्गों (कुल नौं में से) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 40.94 करोड़ के इन कार्यों को विभिन्न स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन के लिए 98 भागों[43] में विभाजित किया गया था, जिसके लिए उ प्रा स की उचित मंजूरी और तत्संबंधी वित्तीय नियमों / ए वि बैं मापदण्डों में इस आधार पर ढील दी गई थी कि इससे कार्यों को समय पर पूरा होने में मदद मिलेगी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी नौं कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी जो 04 से 66 *प्रतिशत* के बीच थी (जून 2017)।

इसी प्रकार, वि आ स - पु के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 72.45 करोड़ की धनराशि उ स द्वारा निर्गत नहीं किए जाने के कारण लो नि वि के क्षेत्रीय खंडों द्वारा कुल 525 स्वीकृत कार्यों में से केवल 488 कार्य (93 *प्रतिशत*) पूर्ण किए जा सके (जून 2017) जबकि 37 कार्य अभी तक प्रगति पर थे।

यद्यपि, मार्च 2018 के अंत में कार्यों की स्थिति जैसा की नोडल एजेंसियों द्वारा सूचित किया (जुलाई / अगस्त 2018) गया, निम्नानुसार थी:

विवरण		स्वीकृत कार्यों की कुल संख्या	31 मार्च 2018 की स्थिति		
			पूर्ण	प्रगति में	अनारम्भ
मार्ग एवं सेतु	उ आ स प	110	110	-	-
	उ आ रि प	262	187	67	08
	वि आ स - पु	525	499	24	02
पैदल मार्ग	उ आ स प	09	06	03	-
कुल		***906***	***802***	***94***	***10***

3.2.2.2 गैर अनुमन्य कार्यों का निष्पादन

नीचे उल्लिखित मामलों में, पुनर्निर्माण कार्यों का निष्पादन निर्धारित मापदण्ड और तकनीकी विशिष्टीकरण के विरुद्ध था, जिसके कारण ₹ 58.52 करोड़ के अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुए:

- उ स / उ प्रा स द्वारा लिए गए निर्णय (जनवरी 2014) के अनुसार, आपदा के समय कच्चा स्थिति वाली मार्गों का पुनर्निर्माण प्रीमिक्स कारपेट (पी सी) / सील कोट के साथ ब्लैक टॉप (बी टी) स्तर तक किया जाना था और बी टी स्थिति वाली मार्गों का पुनर्निर्माण आपदा की पूर्व स्थिति तक के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ प क्रि इ द्वारा निष्पादित 14 मार्गों की विद्यमान सतह या तो कच्चा थी या ब्लैक टॉप थी। हालांकि, इन मार्गों का पुनर्निर्माण बिटुमिनस मैकडैम (बी एम) / सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस डी बी सी) जैसी महंगी सामग्री के साथ किया गया था। अगर उ स / उ प्रा स के निर्णय के अनुसार मार्गों को पी सी / सील कोट के साथ पुनर्निर्मित किया जाता तो उपरोक्त

[43] मुनस्यारी-मिलम-डुंग पैदल मार्ग (20 भाग), पंचाचुली पैदल मार्ग (36 भाग), असकोट-कालापानी पैदल मार्ग (25 भाग), काती-सुंदरदंगा ग्लेशियर पैदल मार्ग (4 भाग), काफनी ग्लेशियर पैदल मार्ग (4 भाग), और जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग (9 भाग)।

14 मार्गों के पुनर्निर्माण की वास्तविक लागत ₹ 66.33 करोड़ के सापेक्ष ₹ 23.42 करोड़ होती ***(परिशिष्ट-3.3)***।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान विभाग ने कहा कि बी एम / एस डी बी सी मार्गों की परिचालन गुणवत्ता पी सी / सील कोट मार्गों की तुलना में काफी बेहतर होती है अतः, स्थानीय जनता के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों की माँग पर, इन मार्ग के कार्यों को बी एम / एस डी बी सी सामग्री से निष्पादित किया गया था। यद्यपि, यह कार्य निष्पादन उ प्रा स की मंजूरी के बिना किया गया था।

- उ आ रि प के अन्तर्गत ग्रा मा का पुनर्निर्माण कार्य प्र म ग्रा स यो मापदण्डों के अनुपालन के साथ किया जाना था जो निर्धारित करता है कि ग्रा मा की सभी सम्पर्क मार्ग जिनकी यातायात गणना प्रति दिन 100 मोटर वाहनों से कम हो, के परिचालन पथ का निर्माण 3 मीटर चौड़ाई के साथ किया जाना है।

उ आ रि प के पाँच प क्रि इ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नौं ग्रा मा के परिचालन पथ को 3.75 मीटर की चौड़ाई सहित वक्र और पासिंग वाले स्थानों के लिए अतिरिक्त चौड़ाई के साथ डिजाइन / निर्मित किया गया था। ये सभी ग्रा मा लिंक मार्ग थे जिनका यातायात घनत्व 100 मोटर वाहन प्रतिदिन से कम था। इस प्रकार, इन मार्गों के कैरिजवे के लिए 0.75 मीटर अतिरिक्त चौड़ाई की स्वीकृति / निर्माण अनियमित और प्र म ग्रा स यो मापदण्डों के विरुद्ध था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.24 करोड़ का अतिरिक्त / परिहार्य व्यय हुआ ***(परिशिष्ट-3.4)***।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, विभाग ने उत्तर दिया कि पूरे राज्य में मार्ग की चौड़ाई की समानता बनाए रखने के लिए इन मार्गों का परिचालन पथ लो नि वि मानदंड के अनुसार 3.75 मीटर पर रखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्र म ग्रा स यो के अन्तर्गत 3 मीटर परिचालन पथ के साथ निर्मित मार्गों को अंततः राज्य के लो नि वि द्वारा अधिगृहीत किया जाता है। अतः सड़क चौड़ाई की समानता बनाए रखने की आवश्यकता का तर्क तार्किक प्रतीत नहीं होता है।

- ग्रा मा के लिए प्र म ग्रा स यो और लो नि वि मानदंड निर्दिष्ट करते हैं कि ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिए डिजाइन और सतह का निर्धारण आइ आर सी: एस पी-72 (2007) में दिये गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार यातायात के कारकों और मृदा के प्रकार के आधार पर किया जाएगा।

प क्रि इ (उ आ रि प-पिथौरागढ़) द्वारा निर्मित तीन ग्रा मा कार्यों में यह देखा गया कि इन मार्गों के उप-आधार / आधार सतहों के लिए मार्ग की मोटाई संबन्धित यातायात श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों आइ आर सी: एस पी-72 और मार्गों की मिट्टी के कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों (सी बी आर)[44] मूल्य से अधिक रखी गई थी। बढ़ी हुई मोटाई के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ ***(परिशिष्ट-3.5)*** लागत की अतिरिक्त सामग्री का उपयोग किया गया जो आइ आर सी : एस पी-72(2007) के प्रावधान के अनुसार अपरिहार्य था।

[44] कैलिफ़ोर्निया बियरिंग रेशियो (सी बी आर) परिचालन पथ निर्माण के नीचे प्राकृतिक जमीन, उपगमन और आधार सतह की यांत्रिक शक्ति के मूल्यांकन के लिए एक अर्थबोध जाँच है।

- विभागाध्यक्ष - लो नि वि, देहरादून द्वारा जारी एक परिपत्र (फरवरी 2013) यह निर्धारित करता है कि लिंक मार्गों के लिए सेतुओं की चौड़ाई / परिचालन और पहाड़ी क्षेत्र में थ्रू[45] मार्गों को क्रमशः एकल लेन (4.25 मीटर) और 1.5 लेन (5.5 मीटर) में बनाया जाएगा। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि राज्य लो नि वि के उपरोक्त मापदण्डों के विरुद्ध एन बी सी सी द्वारा उत्तरकाशी जिले के ग्रामीण / पहाड़ी मार्गों में निर्मित पाँच सेतुओं (₹ 27.65 करोड़) का परिचालन / चौड़ाई 8.5 मीटर (डबल लेन) रखा गया था। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 6.01 करोड़ (आनुपातिक गणना आधार पर) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- उ प्रा स ने (सितंबर 2014) उ आ स प के अन्तर्गत 26 किमी लंबी कर्णप्रयाग - नैनीसैंड़ मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹ 16.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इस कार्य के लिए प क्रि इ (मा और से) द्वारा तैयार किए गए नुकसान के आंकलन और वि प रि के अनुसार सड़क के केवल 14.82 किमी हिस्से को बिटुमिनस मैकडम (बी एम: 2,121 घन मीटर) के साथ प्रोफाइल सुधारात्मक सतह (प्रो सु स) के रूप में पुनर्निर्मित किया जाना था जबकि सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस डी बी सी) 26 किमी की पूरी लंबाई में बिछाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प क्रि इ (उ आ स प-चमोली) द्वारा मोटर मार्ग की पूरी लंबाई (5,353.43 घन मीटर) के लिए बी एम को बिछाया गया फलतः, ₹ 3.02 करोड़[46] का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी तरह, प क्रि इ-उ आ रि प, उत्तरकाशी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया था कि ₹ 1.41 करोड़ लागत का बी एम / एस डी बी सी कार्य 31.70 किमी लम्बी चिल्यानीसौड़ - जोगथ मोटर मार्ग के चार किलोमीटर लम्बे ऐसे भाग में निष्पादित किए गए थे जिसे स्वीकृत वि प रि के अनुसार क्षतिग्रस्त चिन्हित नहीं किया गया था। इन कार्यों का निष्पादन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था।

3.2.2.3 अनियमित योजना के कारण लागत वृद्धि

भटवाड़ी ब्लॉक (उत्तरकाशी) के उत्तरो गांव के लिए ₹ 6.15 करोड़ की लागत से असी गंगा पर एन बी सी सी लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे एक पैदल सेतु का प्रबंधन खराब पाया गया था, क्योंकि वि प रि तैयार करते समय बायें हाथ की ओर के भूस्खलन क्षेत्र का उचित संज्ञान नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, कार्य के दायरे (लंबाई) को तीन बार कम करते हुए 150 मीटर से 102.6 मीटर कर दिया गया था (भूस्खलन क्षेत्र से सेतु पाये को हटाने और एंकर ब्लॉक की ऊंचाई में वृद्धि) जैसा की तस्वीर में दिखाया गया है। सेतु कार्यों के

[45] थ्रू मार्ग वे हैं जो कई लिंक सड़कों या बसावटों की लंबी श्रृंखला से यातायात एकत्र करते हैं और इसे सीधे या उच्च श्रेणी की सड़कों यानी जिला मार्ग या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से बाजार केंद्रों तक ले जाते हैं।

[46] बी एम: ₹ 9,327.50 / घन मीटर की दर से 3,232.43 (5,353.43-2,121) घन मीटर ।

लगातार संशोधन[47] के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सुरक्षा कार्यों के निष्पादन के कारण कार्य की लागत में ₹ 2.95 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसी तरह, नौगाँव ब्लॉक के बदिया गांव के पास यमुना नदी पर 75 मीटर पैदल झूला पुल 2 मीटर पैदल मार्ग के साथ, को 80 मीटर स्टील गर्डर सेतु में परिवर्तित करना पड़ा था क्योंकि बायें हाथ की ओर भूस्खलन क्षेत्र के होने कारण चयनित स्थल पर झूला पुल का निर्माण संभव नहीं था जिस पर वि प रि तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था। कार्य क्षेत्र में बदलाव और देरी के परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 3.38 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

3.2.2.4 पैदल मार्ग कार्यों पर ऊंचाई और दूरी सूचकांक को अनियमित व अनुचित रूप से भारित किया जाना

राज्य सरकार की प्रत्येक सरकारी एजेंसी को कार्यों के निष्पादन के लिए समय-समय पर लो नि वि द्वारा प्रकाशित दरों की अनुसूची (द अ) और सड़क मार्ग से सामग्री के परिवहन की लागत के लिए अनुमन्य ऊंचाई और दूरी (ऊं और दू) सूचकांक[48] के अनुसार कार्य का आगणन तैयार करना होता है।

चार पैदल मार्गों[49] (₹ 40.90 करोड़) को निष्पादित करने वाली चार प क्रि इ[50] की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया था कि इन कार्यों के आगणन (वि प रि) और उ प्रा स द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति लो नि वि की अनुमन्य दर सूची और देय ऊं और दू सूचकांक पर आधारित नहीं थे। प क्रि इ द्वारा इस दलील के आधार पर बहुत ही उच्च / विशेष दरों को भारित किया था, कि कार्यों के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं थे क्योंकि कार्य बहुत ऊंचाई पर स्थित है और कार्यों के गैर अनुमन्य मदों[51] पर ऊं और दू सूचकांक लागू करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि मजदूरी की उच्च दर के लिए प क्रि इ द्वारा दिए गए तर्क स्वीकार्य करने योग्य नहीं थे, क्योंकि इन पैदल मार्गों पर प क्रि इ / लो नि वि के उन्ही खण्डों से समान कार्य (2013 और 2014 में राज्य आ मो नि के अंतर्गत तत्काल प्रकृति कार्य) लो नि वि की अनुसूची दरों पर करवाये गये जिसके लिए ठेकेदारों की निविदा दरें अगणित दरों से 0.25 से 0.50 *प्रतिशत* न्यून थी। इस प्रकार, उच्च मजदूरी दरों के साथ इन परियोजनाओं की स्वीकृति अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

47 प्रारंभ में, सेतु को 150 मीटर स्पान (₹ 5.62 करोड़) के लिए झूला पुल के रूप में बनाया जाने की योजना बनाई गई थी, जिसे बाद में (मार्च 2015) 120 मीटर स्पान (₹ 6.15 करोड़) के लिए संशोधित किया गया था और एक बार फिर से प्रस्तावित कार्य का दायरा (दिसंबर 2016) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत संशोधित वि प रि (₹ 8.57 करोड़) में 102.636 मीटर तक कम किया गया।

48 ऊं और दू सूचकांक सामाग्री मदों के लागू दरों की अनुसूची पर स्वीकार्य है और मिट्टी कार्य, पहाड़ी का कटान, मलवा निकासी, सूखी पत्थर चिनाई और हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग भरान जैसी मदों लिए भारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

49 पंचाचूली, यमुनोत्री धाम, मुनस्यारी-मिलम और दुर्गखेती-सुंदरडुंगा।

50 प क्रि इ (पैदल मार्ग): जिला पिथौरागढ़ का असकोट और डीडीहाट, बड़कोट-उत्तरकाशी, कपकोट-बागेश्वर।

51 लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के अनुसार ऊं और दू सूचकांक - खुदाई कार्य / हिल काटने / मलवा निकासी / सूखी पत्थर चिनाई / सूखी पत्थर खड़ंजा / हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग कार्य पर स्वीकार्य नहीं है।

3.2.2.5 वाह्य सहायतित परियोजनाओं (वा स प) के अंतर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त कार्यों का कम आच्छादन

ए वि बैं वित्तपोषित उ आ स प में, 2,400 किमी रा रा/मु जि मा / उ रा स सु का की मार्गों और 16 सेतुओं की पहचान आपदा द्वारा क्षतिग्रस्त के रूप में की गई थी, लेकिन प क्रि इ - मा और से (उ आ स प) द्वारा मात्र 1,968.11 किमी (82 *प्रतिशत*) मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों को आच्छादित किया गया और कोई सेतु का कार्य नहीं लिया गया था। इसी प्रकार, वि बैं वित्तपोषित प क्रि इ- मा और से (उ आ रि प) द्वारा चिन्हित क्षतिग्रस्त 4,715 किमी लम्बी अ जि मा / ग्रा मा / पैदल मार्ग और 140 सेतुओं के सापेक्ष सिर्फ 1,711.49 किमी (36 *प्रतिशत*) अ जि मा/ग्रा मा और 25 पुलों (18 *प्रतिशत*) का पुनर्निर्माण कार्य को आच्छादित किया।

इन दो वा स प के अन्तर्गत चिन्हित क्षतिग्रत कार्यों का कम आच्छादन (मार्ग: 48 *प्रतिशत* एवं सेतु: 84 *प्रतिशत*) का कारण निर्धारित धनराशियों की खपत थी जोकि अनियोजित / अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन *(प्रस्तर - 3.2.2.2),* कार्यों के अधिक आगणन *(प्रस्तर - 3.2.2.4),* अनुबंध प्रबंधन में कमी *(प्रस्तर - 2.2.6)* एवं कार्यों के निष्पादन में अत्यधिक विचलन के कारण उत्पन्न थे (कुछ विशिष्ट उदाहरण ***परिशिष्ट-3.6*** में दिए गए हैं)। साथ ही कार्यों का कम आच्छादन इस तथ्य के बावजूद था कि उ प्रा स द्वारा उ आ स प और उ आ रि प के अन्तर्गत सड़क कार्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय ₹ 1,638 करोड़ (उ आ स प: ₹ 708 करोड़ और उ आ रि प: ₹ 930 करोड़) के सापेक्ष अतिरिक्त धन आवंटित किया जो ₹ 1,911.29 करोड़ था (उ आ स प: ₹ 860.30 करोड़ और उ आ रि प: ₹ 1,050.99 करोड़)। इस अतिरिक्त लागत की पूर्ति वा स प के अन्य घटकों से हुई बचतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की बेहतर विनिमय दर के कारण अतिरिक्त प्राप्तियों से हुई थी।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि प्रारंभ में केवल क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय जनता / प्रतिनिधियों की माँग पर, मार्गों को लम्बी अवधि तक ठीक रखने के लिए मार्गों के पूर्ण भाग में क्रास ड्रेनेज और कलवर्ट उपयुक्त डिजाइन / प्रावधानों के साथ पुनर्निर्मित किए गए थे जो कि 'पहले से बेहतर निर्माण' की अवधारणा के अनुरूप था। यह इंगित करता है कि नुकसान का आंकलन ठीक से नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक निधियों का गलत प्रक्षेपण हुआ।

3.3 पर्यटन का बुनियादी ढाँचा

उत्तराखण्ड में पर्यटन अर्थव्यवस्था और आजीविका का प्रमुख परिचारक है और यह स रा घ उ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में लगभग 22.48 *प्रतिशत*[52] योगदान देता है। राज्य कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्रों का घर है जो चार-धाम[53] के नाम से जाने जाते है और यहाँ औसतन सालाना 3.2 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आतिथ्य किया जाता है। आपदा से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन पर पूरी तरह से निर्भर लोगों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। पर्यटन विभाग (प वि), उ स

[52] उ स के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अनुसार।

[53] गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ।

के अनुसार, सरकार की मौजूदा परिसंपत्तियों की अनुमानित भौतिक क्षति का आंकलन पूरे राज्य के लिए ₹ 116.61 करोड़ और अति प्रभावित पाँच जिलों में ₹ 85.30 करोड़ का था। हालांकि, राज्य सरकार ने (सितंबर 2013) इस क्षेत्र के लिए ₹ 809.64 करोड़ की माँग की। इस प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चार धाम यात्रा की सुविधा के लिए नई परियोजनाएं शामिल थीं; और आपदा की तैयारी में सुधार के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार सम्मिलित था। इस माँग के सापेक्ष, म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत भा स द्वारा ₹ 894.03 करोड़ (वि आ स - पु : ₹ 455.09 करोड़, वा स प-उ आ स प : ₹ 336.54 करोड़ और के पो यो - पु : ₹ 102.40 करोड़) अनुमोदित किया गया था। ये कार्य निम्नवत तीन नोडल एजेंसियों को सौंपे गये थे:

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग को केदारनाथ यात्रा मार्ग के साथ श्री केदारनाथ टाउनशिप और अन्य पर्यटक सुविधाओं की बहाली / निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। केदारनाथ यात्रा मार्ग जून 2013 आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित था। इन परियोजनाओं के लिए भा स द्वारा वि आ स - पु के अंतर्गत ₹ 455.09 करोड़ स्वीकृत / उपलब्ध कराये गए थे।
- उ आ स प (₹ 184.74 करोड़) और के पो यो-पु[54] (₹ 102.40 करोड़) के अन्तर्गत स्वीकृत पर्यटन बुनियादी ढाँचे / परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प) नामित एजेंसी थी।
- उत्तराखण्ड में आपदा की तैयारी में सुधार के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) उ आ स प (₹ 151.80 करोड़) के अन्तर्गत हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए नोडल एजेंसी थी।

इन स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था को नीचे **चार्ट-3.**2 से देखा जा सकता है:

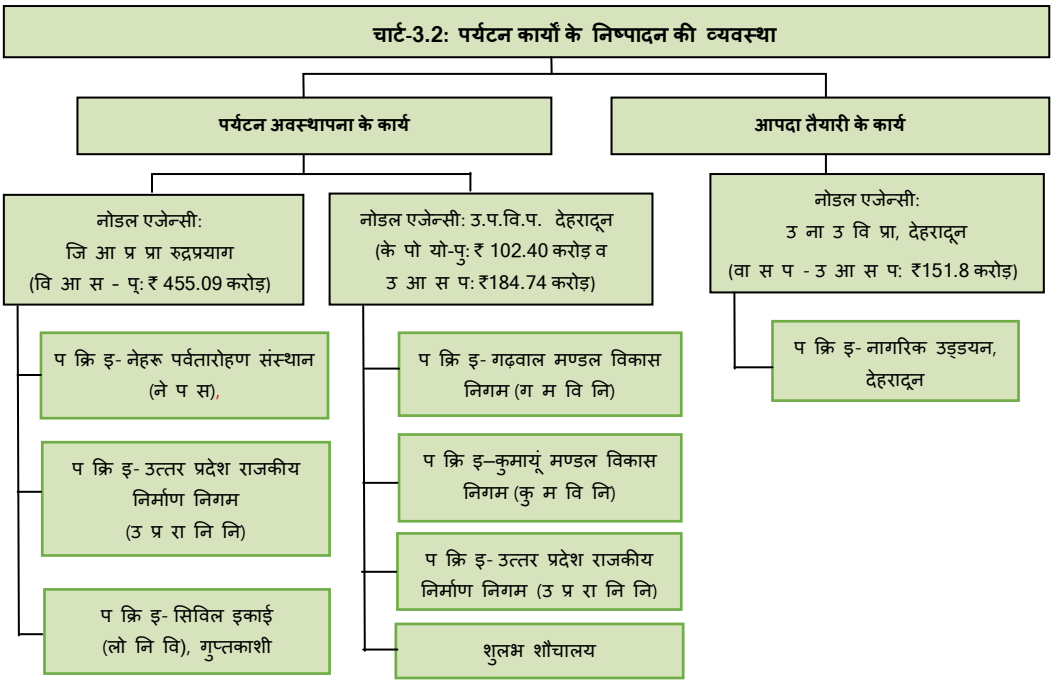

[54] गंतव्य और परिभ्रमण के लिए उत्पाद बुनियादी ढाँचा विकास।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2018 तक कुल स्वीकृत ₹ 460.22 करोड़ के 213 कार्यों में से उपरोक्त वर्णित तीन नोडल एजेंसियों के सात प क्रि इ[55] में ₹ 333.77 करोड़ के 81 कार्यों की जाँच की। कार्यों की संख्या के मामले में लेखा परीक्षा आच्छादन 38 *प्रतिशत* है जोकि पर्यटन क्षेत्र के लिए स्वीकृत कुल लागत का 73 *प्रतिशत* हैं। नोडल एजेंसी-वार अनुमोदित कार्यों और उन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थिति पर चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

3.3.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जि आ प्र प्रा), रुद्रप्रयाग

उ स ने केदारनाथ कस्बे, अन्य धामों के विकास, गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, केदारनाथ श्राईन और इसके आसपास के अन्य मंदिरों की पुनर्स्थापन, और दूरस्थ पहाड़ी जिलों में कुछ निश्चित सामरिकों स्थानों पर आश्रय-सह-गोदामों के निर्माण के लिए पाँच परियोजनाओं के पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापन कार्यों को प्रस्तावित किया था। ₹ 525 करोड़ की कुल माँग के सापेक्ष, भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 455.09 करोड़ (चार परियोजनाओं के लिए ₹ 380.09 करोड़ और आश्रय-सह-गोदामों के लिए ₹ 75 करोड़) के परिव्यय की मंजूरी दी गयी और ₹ 69.91 करोड़ के शेष राशि का योगदान राज्य द्वारा अपने संसाधनों से किया जाना था। यद्यपि, उ स द्वारा न तो अपने हिस्से का ₹ 69.91 करोड़ अंशदान दिया और न ही रोपवे के निर्माण, अन्य धामों के विकास और आश्रय-सह-गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की जैसा कि *प्रस्तर 2.2.2* में उल्लिखित है।

कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.3.1.1 श्री केदारनाथ धाम और इसके यात्रा मार्ग पर पर्यटक सुविधाओं की पुनर्स्थापना में देरी

उ स द्वारा ₹ 250.43 करोड़ के कुल 56 कार्यों की स्वीकृति जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग को प्रदान की गई, जिनमें से ₹ 248.11 करोड़ के 47 कार्यों को तीन प क्रि इ (ने प सं, उ प रा नि नि, और सिविल इकाई-लो नि वि) को सौंपा गया था और नौं खरीद / स्थापना कार्य[56] सीधे जि आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग द्वारा प्रबंधित किए गए थे। उ स ने क्षेत्र की कठिन परिस्थिति को देखते हुए, निविदा प्रक्रिया को अपनाने के बिना, कार्यादेश के आधार पर इन कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष छूट प्रदान की और मजदूरी और सामग्रियों के ढुलाई के लिए उच्च दरों की अनुमति दी (अप्रैल 2015)। यद्यपि, विशेष छूट / दरों के बावजूद, ये प क्रि इ चार यात्रा वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी

---

[55] **ग म वि नि:** के पो यो - पु (₹ 24.40 करोड़) के 33 कार्य (5 पैकेज) और उ आ स प के 5 कार्य (₹ 39.74 करोड़), **कु म वि नि** उ आ स प के 2 कार्य (₹ 26.78 करोड़), **उ प रा नि नि :** के पो यो - पु (₹ 15.13 करोड़) के 8 कार्य (3 पैकेज) और वि आ स - पु (₹ 95.65 करोड़) के 4 कार्य, **ने प सं :** वि आ स - पु के 6 कार्य (₹ 84.24 करोड़), सिविल इकाई **(लो नि वि):** वि आ स- पु के 9 कार्य (₹ 12.79 करोड़), **जि आ प्र प्रा :** 5 कार्य: (₹ 1.83 करोड़) और **उ ना उ वि प्रा :** उ आ स प के 9 कार्य (₹ 33.21 करोड़)।

[56] 5 स्वचालित डिजिटल डिस्प्ले बोर्डों की स्थापना / संचालन (₹ 19.65 लाख), वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्थानीय इंटरनेट नेटवर्क (₹ 69.66 लाख), 4 यूनिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप की स्थापना / संचालन (₹ 10.35 लाख), आपातकाल रेडियो संचार नेटवर्क की स्थापना (₹ 6.73 लाख), संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मोबाइल बीटीएस (बेस ट्रांससीवर स्टेशन / सिस्टम) की स्थापना/संचालन (₹ 47.66 लाख), चेन शिविर में बीएसएनएल मोबाइल बीटीएस बढ़ाने के लिए हट का निर्माण (₹ 7.12 लाख), संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4 डीएसपीटी (डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल) फोन की स्थापना (₹ 6.45 लाख), रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच 50 एमबीपीएस बिंदु से बिन्दु कनेक्टिविटी के साथ जि मु (जिला मुख्यालय) की स्थापना (₹ 39.79 लाख), और सूचना प्रसार के लिए जि आ प्र प्रा / उ रा आ प्र प्रा की वेब साइट का निर्माण (₹ 24.23 लाख)।

यात्रा मार्ग पर पर्यटकों को वांछित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सके, जैसा कि नीचे **तालिका-3.3** से देखा जा सकता है:

तालिका-3.3: स्वीकृत कार्यों कि स्थिति (श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग) *(₹ करोड़ में)*

कार्यदायी संस्था	उ स द्वारा स्वीकृत कार्य		वास्तविक अवमुक्त निधियाँ	भौतिक प्रगति (03/2018) (कार्यों की संख्या)			वित्तीय प्रगति (03/2018)
	संख्या	लागत		पूर्ण	प्रगति में	अनारम्भ	
ने प स	11	119.73	86.66	08	03	0	64.69
सिविल इकाई-लो नि वि	32	33.00	33.00	24	06	02	21.13
उ प रा नि नि	04	95.38	92.80	01	03	0	81.54
स्वयं जि आ प्र प्रा	09	2.32	2.32	07	02	0	1.94
कुल	*56*	*250.43*	*214.78*	*40*	*14*	*02*	*169.30*
प्रतिशतता			*86*	*71*	*25*	*04*	*68*

पर्यटक सुविधाओं के पूर्ण होने की का क्रि इ वार स्थिति पर नीचे चर्चा की गई है:

अ) उ प्र रा नि नि के कार्य

- केदारनाथ कस्बे में तीर्थयात्रियों को आवास प्रदान करने के लिए, ₹ 29.72 करोड़ की लागत से 120 कॉटेज के निर्माण का कार्य उ प्र रा नि नि को सौंपा गया था (अक्टूबर 2015)। केदारनाथ कस्बे में पर्यटक आवास प्रदान करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा क्योंकि मार्च 2018 तक उ प्र रा नि नि द्वारा मात्र 92 कॉटेज बनाए गए थे और इन्हें जि आ प्र प्रा या उपयोगकर्ता एजेंसी (ग म वि नि) को नहीं सौंपा गया था क्योंकि कुछ लघु कार्य अभी भी अपूर्ण थे। शेष 28 कॉटेज के निर्माण प्रगति पर थे यद्यपि ₹ 2.42 करोड़ की लागत के सभी आवश्यक फर्नीचर वस्तुओं को पहले से ही खरीद लिया गया था (अप्रैल 2016)। जिला प्रशासन, रुद्रप्रयाग की एक रिपोर्ट (अप्रैल 2017) के अनुसार फर्नीचर आदि वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर भण्डारित नहीं किया गया था। उ प्र रा नि नि ने उत्तर दिया कि कार्यों की प्रगति धीमी सीमित कार्य समय के कारण थी *(संदर्भ प्रस्तर 2.2.5)*।

- पर्यटक बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण / उच्चीकरण के दृष्टिकोण के साथ, सोनप्रयाग में ₹ 65 करोड़ की लागत के बहुस्तरीय पार्किंग और प्रशासनिक ब्लॉक के निर्माण का कार्य उ प्र रा नि नि को स्वीकृत / सौंपा गया (अक्टूबर 2015) था। सोनप्रयाग में इस टर्मिनल को विविध सुविधाओं जैसे वाहन पार्किंग; यात्री सुविधा; फूड कोर्ट; हेलीकॉप्टर सेवा; स्पा के साथ होटल विंग; प्रति दिन 1,000 भक्तों के लिए पूछताछ काउंटर; और प्रशासनिक नियंत्रण स्टेशन जहाँ से केदारनाथ धाम के लिए पूरे आवागमन को नियंत्रित किया जाय, के साथ एक हब के रूप में कार्य करना था। प्रस्तावित टर्मिनल / कॉम्प्लेक्स के संभावित दृश्य को दिए गए फोटोग्राफ से देखा जा सकता है।

मल्टीपार्किंग-सह-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संभावित दृश्य

यद्यपि, यह देखा गया था कि उ प्र रा नि नि द्वारा इस भवन का निर्माण कार्य नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 तक ₹ 38.57 करोड़ रुपये की लागत से नींव के काम के

निष्पादन के बाद कार्य की कोई और प्रगति नहीं थी। यह स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा नदी की ओर बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण न किए जाने के कारण थी। हालांकि, उ स द्वारा इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग को जुलाई 2017 में स्वीकृति दे दी गई थी।

ब) ने प सं के कार्य

- जून 2013 की बाढ़ से श्री केदारनाथ धाम की अधिकांश इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की एक समिति ने निर्णय लिया कि जिन इमारतों को असुरक्षित / अनिश्चित माना गया था या केदारनाथ धाम के मुख्य मार्ग में या उसके आस-पास स्थित थे, उन्हें यात्रा की सुविधा के लिए एक योजनाबद्ध केदारपुरी टाउनशिप के पुनर्निर्माण के लिए ध्वस्त किया जाना चाहिए। यह कार्य ₹ 70 करोड़ की लागत से वि आ यो - पु के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग द्वारा इस कार्य को दो चरणों में निष्पादित करने की योजना बनाई लेकिन राज्य सरकार ने केवल ₹ 38.63 करोड़ के स्टेज-1 के कार्यों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय की स्वीकृति जारी की (सितंबर 2016) जिसमें इमारतों को ध्वस्त करने, अस्थायी स्टोर / गोदाम का प्रावधान, और तीर्थ पुरोहितों के लिए 113 भवनों के पुनर्निर्माण से संबन्धित कार्यों को शामिल किया गया था। स्टेज-1 कार्यों का निर्माण ने प सं-उत्तरकाशी को सौंपा गया था। राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण स्टेज-2 के कार्यों को शुरू नहीं किया जा सका। ने प सं तीर्थ पुरोहितों के लिए 113 भवनों में से ₹ 12.67 करोड़ (सितंबर 2017) के अद्यतन व्यय के साथ मात्र 40 घरों के पुनर्निर्माण पर कार्य कर रहा था। ने प सं ने कहा (अक्टूबर 2017) कि शेष 73 घरों के पुनर्निर्माण का कार्य वि प रि / मानचित्रों को अंतिम रूप न देने, लाभार्थियों के साथ समझौतों का निष्पादन न होने और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित नहीं किए जाने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

ने प स द्वारा तैयार किए जा रहे तीर्थ पुरोहितों के निर्माणाधीन भवन

- केदारनाथ टाउन में तीन सेतुओं (₹ 6 करोड़) के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था (जून 2015), लेकिन प क्रि इ द्वारा मार्च 2018 तक केवल एक सेतु (₹ 1.98 करोड़) का निर्माण किया गया था। दूसरा सेतु निर्मित नहीं किया गया था क्योंकि उ स से वि प रि का अनुमोदन लम्बित था। तीसरे सेतु का निर्माण अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा घाट से संबन्धित कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के कारण अवरुद्ध पड़ा हुआ था।

- ने प सं द्वारा ₹ 6.67 करोड़ (***परिशिष्ट-3.7***) के सात कार्यों को उ स से प्रशासनिक / वित्तीय मंजूरी प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत कार्यों की अप्रयुक्त धनराशियों से निष्पादित किया गया था। ने प स ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्यों की महत्ता के कारण सरकारी प्राधिकारियों के मौखिक आदेशों पर इन कार्यों को निष्पादित किया गया।

स) सिविल इकाई - लो नि वि के कार्य

सिविल इकाई - जि आ प्र प्रा द्वारा पर्यटकों के सुरक्षित आवागमन के लिए 'यात्रा मार्ग पर चिकित्सा राहत पोस्ट्स (₹ 1.50 करोड़)' और 'पुलिस चेक पोस्ट एवं एक्स-रे स्कैनिंग काउंटर' (₹ 50 लाख) के निर्माण से संबन्धित कार्य मार्च 2018 के अंत तक शुरू नहीं किए गए थे। जि आ प्र प्रा-रुद्रप्रयाग ने यह उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन कार्यों को समय पर शुरू नहीं किया जा सका; हालांकि, बाद में भूमि की पहचान की जा चुकी है।

द) जि आ प्र प्रा के खरीद और स्थापना कार्य

जि आ प्र प्रा - रुद्रप्रयाग ने उ स द्वारा वि आ स - पु निधि की स्वीकृति के बावजूद पूरे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट-अप की स्थापना / शुरुआत (₹ 10.35 लाख):, एवं 'सूचना प्रसार के लिए जि आ प्र प्रा / रा आ प्र प्रा के वेबसाइट का निर्माण' (₹ 24.23 लाख) के लिए कोई पहल नहीं की थी। जि आ प्र प्रा ने सूचित किया कि ये काम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन आई सी एस आई) के माध्यम से किए जाएंगे।

3.3.2 उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प)

पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण और विकास के लिए के पो यो - पु (गंतव्य और परिभ्रमण के लिए उत्पाद बुनियादी ढाँचा विकास) के अन्तर्गत ₹ 102.40 करोड़ और ए वि बैं सहायतित उ आ स प के अन्तर्गत ₹ 184.74 करोड़ निर्धारित किया गया था। यद्यपि, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (उ प वि प), भा स को ₹ 72.55 करोड़ की लागत वाली केवल 11 परियोजनाएं (116 कार्य) प्रस्तुत कर सका; जिसके सापेक्ष वर्ष 2014-15 में भा स से ₹ 14.51 करोड़ (20 *प्रतिशत*) की पहली किश्त प्राप्त हुई थी। इस योजना को 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर भा स द्वारा 2015-16 से विच्छेदित कर दिया गया था। यद्यपि, इसमें उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्यों में चल रही परियोजनाओं की लंबित देयता के एक बार निपटारे (ए नि) के लिए प्रावधान था। भा स ने उ स से प्रत्येक परियोजना के विवरण (प्रत्येक परियोजना की स्टेज और पूर्ण होने की तारीख) और परियोजनाओं की देनदारियों जहाँकि 50 *प्रतिशत* से अधिक काम पूरा हो चुका थे, को प्रस्तुत करने के लिए कहा (13 जनवरी 2016)। हालांकि, अपेक्षित जानकारी उसी महीने (जनवरी 2016) में उ प वि प द्वारा भेज दी गई थी परन्तु ए नि का प्रस्ताव भा स के पास अभी भी लंबित था।

उ आ स प के अन्तर्गत, ₹ 184.74 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष ₹ 91.01 करोड़ की केवल नौं परियोजनाएं प्रस्तुत / स्वीकृत की गई थीं।

आयोजनागत सम्बन्धी बिन्दु

3.3.2.1 उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत पर्यटक विनियमन अध्ययन और उपायों को न किया जाना

उ आ स प के परियोजना प्रशासन नियमावली के अनुसार, राज्य के आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए प क्रि इ (ग म वि नि और कु म वि नि) द्वारा मास्टर प्लान को तैयार करके

और पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टों का अध्ययन करके निम्नलिखित गतिविधियां की जानी चाहिए थी। इन रिपोर्टों / अध्ययनों का उद्देश्य निम्न हेतु आधार प्रदान करना था:

- पर्यटकों को उच्च स्थलों पर गंतव्यों तक पहुंचने के लिए मध्य स्थलो के 20 गंतव्यों को आधार शिविरों में परिवर्तित करना;
- 20 प्रवेश द्वारों के आस-पास के गांवो में सुविधाओं को बढ़ाकर सैटेलाइट कस्बों के रूप में कार्य करने के लिए;
- विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर पर्यटक बायो-मेट्रिक्स केंद्रों और विनियमन सॉफ्टवेयर के विकास / स्थापना की सुविधा; तथा
- उच्च ऊंचाई पर लगभग 20 गंतव्यों पर ले जाने और अवशोषण क्षमताओं का आंकलन करना।

यद्यपि, यह पाया गया था कि इन गतिविधियों को उ प वि प के नामित प क्रि इ (ग म वि नि और कु म वि नि) द्वारा नहीं किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र इ) - उ आ स प ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (नवम्बर 2017) कि ये अध्ययन नहीं किए गए थे, क्योंकि भा स द्वारा 89 गंतव्यों में उच्च, मध्य और तीर्थ स्थलों सहित एक अध्ययन करवाया जा रहा है और पर्यटक बायो-मेट्रिक्स और विनियमन सॉफ्टवेयर के विकास से संबन्धित कार्य निविदा प्रक्रिया के अधीन है।

कार्यान्वयन सम्बन्धी बिंदु

3.3.2.2 उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत स्वीकृत पर्यटक आवासों की पुर्नस्थापना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाना

आपदा प्रभावित जिलों में पर्यावरण अनुकूल फाइबर रिइन्फोर्स्ड पॉलिमर / प्लास्टिक (एफ आर पी) सामग्री से बने हट के रूप में आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए उ स द्वारा निर्णय लिया गया था। जो प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक आवास इकाईयों के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने और क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम कंक्रीट कार्य करने हेतु उद्देशित थे।

उ प्रा स ने पाँच सर्वाधिक रूप से प्रभावित जिलों में 290 एफ आर पी हटों के निर्माण की स्वीकृति (फरवरी 2014) दी। हालांकि, वांछित उद्देश्यों को हासिल नहीं किया गया, क्योंकि निर्माण के लिए उत्तरदायी अभिकरणों (ग म वि नि और कु म वि नि) 2013 की आपदा से चार साल से भी अधिक समय के बाद भी काम पूरा करने में असफल रही। विभाग द्वारा पर्यटक हटों की न्यून पूर्णता दर के लिये कार्यस्थल की प्रतिकूल भौगोलिक स्थिति जैसे सड़क से दूरस्थ स्थानों, सीमित कार्य समय और भूमि उपलब्धता जैसे मुद्दों को, कारण बताया गया था।

लेखापरीक्षा की तिथि तक जिलेवार स्वीकृत एफ आर पी हटों / आवासों और इसके सापेक्ष भौतिक प्रगति की स्थिति नीचे **तालिका-3.4** में दी गई है:

तालिका-3.4: एफ आर पी हटों / पर्यटक आवासों की भौतिक और वित्तीय स्थिति

परिक्षेत्र	जिले का नाम	स्वीकृत एफ आर पी हट		एफ आर पी हटों की स्थिति		भौतिक प्रगति *(%में)*	वित्तीय प्रगति[57] *(₹ करोड़ में)*
		संख्या	लागत *(₹ करोड़ में)*	पूर्ण हट	निर्माणाधीन		
कुमायूं	बागेश्वर	45	8.74	0	45	*60 - 80*	6.54
	पिथौरागढ़	100	17.94	0	100	*20 - 85*	11.38
गढ़वाल	चमोली	32	5.07	0	32	*72 - 98*	4.20
	रुद्रप्रयाग	92	21.87	4	88	*32 - 96*	13.41
	उत्तरकाशी	21	3.48	0	21	*90 - 98*	3.03
योग		***290***	***57.10***	***4***	***286***		***38.56***

यद्यपि, प क्रि इ द्वारा प्रदान की गई नवीनतम सूचना (अगस्त 2018) से ज्ञात हुआ कि 282 एफ आर पी हटों का निर्माण पूर्ण हो चुका था।

इन परियोजनाओं को छ: पैकेजों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था, जिनमें से पाँच पैकेजों की लेखा परीक्षा जाँच की गई थी। कु म वि नि और ग म वि नि के अभिलेखों की समीक्षा में कार्यों को आगणित करने और अनुबंधों के प्रबंधन में खामियाँ प्रकट हुईं, जैसा कि निम्नवत उल्लेखित है:

- ग म वि नि ने वन विभाग से भूमि की आवश्यक अनापत्ति प्राप्त किए बिना ही कंचौरी, रुद्रप्रयाग में 10 हटों के निर्माण का कार्य सौंप दिया (सितंबर 2014)। परिणामस्वरूप, वन विभाग ने कार्य बंद (जून 2016) करवा दिया। ग म वि नि द्वारा ठेकेदार को ₹ 15.89 लाख का मोबिलाइजेशन अग्रिम और ₹ 25.23 लाख सामग्री अग्रिम का भुगतान किया गया था जिसकी वसूली ठेकेदार से लम्बित थी (अगस्त 2017)। प क्रि इ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि हटों का निर्माण अपने स्वयं के संसाधनों से किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा और ठेकेदार को दी गई अग्रिम राशि वसूल कर ली जाएगी।

- कुमाऊं क्षेत्र के दो पैकेजों की प्रारम्भिक लागत लो नि वि- दरों की अनुसूची 2013-14 के आधार पर और जोन चार कार्यों के लिए ऊं और दू सूचकांक के लिए 20 *प्रतिशत* अतिरिक्त प्रावधान के साथ ₹ 18.21 करोड़ थी। हालांकि, स्वीकृत लागत को प क्रि इ (कु म वि नि) द्वारा उ प्रा स से ₹ 26.68 करोड़ इस आधार पर संशोधित (जुलाई 2014) कराया गया था कि पिछले आगणनों में प्रदान की गई 20 *प्रतिशत* ढुलान दूरी केवल 20 किमी के लिये थी जबकि विभिन्न स्थान सड़क से औसत दूरी 36 किमी के साथ 10 से 90 किमी की दूरी पर स्थित थे (पिथौरागढ़:41 किमी और बागेश्वर: 31 किमी)। तदनुसार, पहले 20 किमी ढुलान दूरी ऊं और दू सूचकांक के लिए वर्तमान लो नि वि- दरों की अनुसूची (अप्रैल 2014) पर देय 20 *प्रतिशत* के साथ-साथ 20 किमी से अधिक दूरी (पिथौरागढ़: 21 *प्रतिशत* और बागेश्वर: 11 *प्रतिशत*) के लिये प्रति किमी एक *प्रतिशत* अतिरिक्त ढुलान को जोड़ा गया था।

[57] जून 2017 तक (वागेश्वर और पिथौरागढ़) तथा जुलाई 2017 (चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प प्र इ - ए वि बैं से अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए उपरोक्त संशोधन और आधार न तो यथार्थवादी थे और न ही लो नि वि दर अनुसूची व इस संबन्ध में लागू अन्य प्रावधानों पर आधारित थे। प क्रि इ द्वारा लागू किया गया ऊं और दू सूचकांक 'मार्ग से 20 किमी तक की दूरी, बर्फ बाध्य क्षेत्र / 2,500 मीटर ऊंचाई से ऊपर के क्षेत्र' के लिए नियत किया गया जबकि लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के प्रावधानों के अनुसार मार्ग से 20 किमी की दूरी के पश्चात की दूरी के लिए कोई अतिरिक्त सूचकांक लागू नहीं था। इसके अतिरिक्त, सड़क से कार्यस्थल की 36 किमी औसत दूरी की गणना भी सही नहीं थी क्योंकि वि प रि में चयनित कार्यस्थल के प्रत्येक स्थान की दूरी का उल्लेख किया गया था और औसत दूरी पिथौरागढ़ के लिए 21 किमी और बागेश्वर के लिए 17 किमी थी। लेखापरीक्षा द्वारा देय ऊं और दू सूचकांक दरों के साथ की गई गणना से प्राप्त हुआ कि इन दो आगणनों पर ₹ 3.39 करोड़ का अनियमित सूचकांक जोड़ा गया था। उत्तर में, कु म वि नि ने कहा (फरवरी 2018) कि दूरस्थ कार्यस्थलों और सामग्री ढुलान की उच्च लागत के कारण कार्यों के लिए निविदादाताओं की गैर-भागीदारी के कारण आगणनों को संशोधित किया गया था।

आगे, लो नि वि परिपत्र (अगस्त 2011) के अनुसार ऊं और दू सूचकांक केवल उन सामग्री घटकों के लिए प्रभार्य है जिन्हें निकटतम सड़क से ढुलान किया जाना है और इनमें उन कार्य की मदों जैसे मिट्टी का कार्य, पहाड़ी के किनारे काटने, मलवा निकासी, सूखे पत्थरों की चिनाई और हैंड पैक्ड स्टोन फिलिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि इस प्रावधान को दोनों पैकेजों के आगणनों को तैयार करते समय और उ प्रा स में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कु म वि नि द्वारा उचित रूप से लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कार्यों की उपरोक्त गैर अनुमन्य कार्य मदों पर ₹ 21.58 लाख की ऊं और दू सूचकांक जोड़ा गया था।

3.3.2.3 केन्द्र पोषित योजना - पुनर्निर्माण (के पो यो - पु) कार्यों के पूर्ण होने में देरी

के पो यो - पु के अंतर्गत, उ प वि प द्वारा उ प्र रा नि नि को ₹ 21.23 करोड़ के 12 कार्य और ग म वि नि ₹ 27.55 करोड़ के 39 कार्य दिये गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उ प्र रा नि नि द्वारा कोई काम पूरा नहीं किया गया था। उ प्र रा नि नि द्वारा कार्यों के निष्पादन की धीमी प्रगति के कारण विभाग ने ₹ 71.48 लाख के व्यय के बाद ₹ 11.68 करोड़ (सितम्बर 2015) के सात[58] कार्यों को बीच में छोड़ दिया। ₹ 9.55 करोड़ के शेष पाँच कार्य[59] भा स द्वारा कम धनराशि अवमुक्त करने के कारण ₹ 1.72 करोड़ के व्यय के बाद भी बाधित थे। इसी प्रकार, भा स द्वारा आवश्यक धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण ₹ 4.20 करोड़ के व्यय के बाद ग म वि नि के 26 कार्यों[60] (₹ 21.78 करोड़) में कोई और प्रगति नहीं हुई थी।

---

58 खरसाली-उत्तरकाशी मे समन्वित पर्यटन सर्किट के विकास के **तीन कार्य** (100 बिस्तर क्षमता वाले पर्यावरण अनुकूल आवासों का निर्माण, पर्यटक स्वागत सह सूचना केन्द्र का निर्माण और पहुँच मार्ग / भवनों का सुधार का निर्माण) और अस्कोट - पिथौरागढ़ में समन्वित पर्यटन सर्किट के विकास के **चार कार्य** (50 बिस्तर क्षमता वाले पर्यावरण अनुकूल आवासों का निर्माण, पयर्टक स्वागत केन्द्रों का निर्माण, पर्यटक सूचना केन्द्रों का निर्माण, पार्किंग का निर्माण / भवनों के सुधार)।

59 **तीन कार्य** जोशीमठ-चमोली में समन्वित पर्यटक सर्किट (उत्तराखण्ड साहसिक पर्यटक हॉस्टल का निर्माण, सुरक्षा दीवार का निर्माण और उत्तराखण्ड पर्यटन विश्राम गृह की पुनर्स्थापना)। **एक कार्य** भटवाड़ी-उत्तरकाशी मे सार्वजनिक यात्री निवास का पुनर्निर्माण और टिहरी जिले मे देवप्रयाग में संगम घाट और पर्यटन विश्राम गृह का **एक कार्य**।

60 मुख्यत: पर्यटक आवास गृहों और पर्यटक सुविधा केन्द्रों की पुनर्स्थापना से संबन्धित।

3.3.3 उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) के कार्य

अतीत से सीख लेकर और राज्य की आपदा तैयारी में सुधार के दृष्टिकोण के साथ, उ स ने आपातकालीन निकासी और राहत कार्यों के संचालन के लिए हैलीपैड्स के मौजूदा बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, उ आ स प के अंतर्गत ₹ 151.80 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया था और उ ना उ वि प्रा के अधीन एक समर्पित प क्रि इ-नागरिक उड्डयन स्थापित की। उत्तराखण्ड की आपदा तैयारी करने की दिशा में कुल 5 हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 3,550 क्षमता के 37 बहुउद्देशीय हॉल (ब हॉ) / आश्रय[61] का निर्माण करने की योजना बनाई गई थी ***(परिशिष्ट-3.8)***। यद्यपि, उ ना उ वि प्रा द्वारा ₹ 49.53 करोड़ की लागत के मात्र 32 कार्यों (27 हैलीपैड्स, 3 हैंगर और 2 ब हॉ) को क्रियान्वित किया जा रहा था।

प क्रि इ-नागरिक उड्डयन (उ आ स प), देहरादून की नौं परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबन्धित (₹ 43.07 करोड़) अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2017) में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

3.3.3.1 आपदा तैयारी के लिए उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (उ ना उ वि प्रा) की त्रुटिपूर्ण योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ आ स प में उपर्युक्त प्रस्तावों को कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना और प्रस्तावित हैलीपैड्स तक पहुंच मार्ग का संज्ञान लिए बिना शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में परियोजनाओं को छोड़ना और स्थानांतरित करना पड़ा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- भूमि की अनुपलब्धता और अभिगम्यता के प्रकरणों के कारण निर्दिष्ट 5 और 19 स्थानों पर कोई हेलीड्रोम और हेलीपोर्ट का निर्माण नहीं किया जा रहा था।
- 34 हैलीपैड्स के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 27 हैलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा था। इनमें से, 18 हैलीपैड्स का निर्माण नए स्थानों पर किया जा रहा था और केवल नौं हैलीपैड्स का निर्माण ही उ ना उ वि प्रा द्वारा प्रारम्भिक रूप से चिन्हित स्थानों पर किया जा रहा था। मार्च 2018 तक 26 हैलीपैड्स का कार्य पूर्ण हो चुका था और एक हैलीपैड्स (सहस्त्रधारा, देहरादून) का निर्माण प्रगति पर था।
- 37 ब हॉ / आश्रयों (क्षमता 3,550) के लक्ष्य के सापेक्ष, पाँच अति प्रभावित जिलों[62] में नोडल एजेंसी द्वारा भूमि की अनुपलब्धता और पूर्व चिन्हित स्थानों पर हैलीपैड्स का निर्माण नहीं होने के कारण ब हॉ / आश्रयों का निर्माण नहीं किया जा रहा था। हालांकि, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में दो छोटे आश्रयों का निर्माण किया जा रहा था जिसकी क्षमता केवल 20 व्यक्तियों के लिए थी।

निकास गोष्ठी (फरवरी 2018) के दौरान, राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि उचित भूमि की अनुपलब्धता के कारण कई हैलीपैड्स को छोड़ दिया गया / स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन योजनाबद्ध तरीके से न करने के कारण राज्य की आपदा तैयारियों पर घात था।

---

[61] प्राकृतिक आपदा के दौरान निकाले जाने वाले लोगों को हैलीपैड्स के साथ स्थान उपलब्ध कराना।

[62] बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी।

3.3.3.2 कार्यों का अधिमूल्यांकन

दो हेलीपैडों (बड़कोट और बागेश्वर) के स्वीकृत वि प रि के मामले में यह पाया गया कि 15 *प्रतिशत* ऊं और दू सूचकांक ₹ 31.58 लाख इस तथ्य के बावजूद जोड़ा गया था कि इन कार्यों के स्थल पहुँच मार्ग मोटर योग्य थे जिसके लिए उत्तराखण्ड लो नि वि द्वारा जारी परिपत्र (जून 2011) के अनुसार ऐसा कोई सूचकांक अनुमन्य नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2018) कि दो वि प रि में लगाए गए 15 *प्रतिशत* ऊं और दू सूचकांक पहाड़ी इलाकों में कार्य करने के लिए था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कृत्य कार्य आगणन के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के विरुद्ध था।

3.4 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

सिंचाई विभाग के अनुसार आपदा ने राज्य में 11,702 किमी की कुल विद्यमान लंबाई के सापेक्ष 495 किमी के नहर कार्यों को क्षति पहुंचायी थी। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 2013 की आपदा के कारण क्षति के रूप में 74 किमी की लंबाई के 508 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का), 60 लिफ्ट नहर योजनाएं, 53 ट्यूब-वेल, 02 झीलें, 01 बैराज और 12 भवनों को भी चिन्हित किया गया था। सिंचाई के अंतर्गत राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 3,33,800 हेक्टेयर था, जिसमें से 38,330 हेक्टेयर सिंचाई बुनियादी ढाँचा क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित घोषित किया गया था।

राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव (सितंबर 2013) में भा स से इस क्षेत्र के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ की माँग की जिसके विरुद्ध म और दी पु पैकेज के अंतर्गत ₹ 1,062.12 करोड़[63] अनुमोदित किया गया था। हालांकि, भा स ने अगस्त 2017 तक ₹ 179.52 करोड़ (के पो यो - पु: ₹ 79.52 करोड़ और वि आ स - पु: ₹ 100 करोड़) अवमुक्त किए थे। राज्य सरकार ने ₹ 815.98 करोड़ के 77 बाढ़ सुरक्षा कार्य (बा सु का) के निष्पादन के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जिसमें से 12 कार्य जुलाई, 2017 में स्वीकृत किए गए थे। भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे **तालिका-3.5** के अनुसार थी:

तालिका 3.5: स्वीकृत बा सु का की भौतिक और वित्तीय स्थिति

जिले का नाम	निधि का स्रोत	कुल कार्य	स्वीकृत लागत *(₹ करोड़ में)*	कार्यों की प्रगति (लेखा परीक्षा की तिथि तक)			
				पूर्ण कार्य	प्रगति में	अनारम्भ कार्य	वित्तीय प्रगति *(₹ करोड़ में)*
बागेश्वर	के पो यो - पु	3	30.39	1	2	-	18.56
चमोली	वि आ स - पु	4	38.42	2	2	-	36.99
	के पो यो - पु	2	21.54	2	0	-	17.36
पिथौरागढ़	वि आ स - पु	4	36.15	1	3	-	31.77
	के पो यो - पु	10	97.30	6	4	-	64.88
रुद्रप्रयाग	वि आ स - पु	13	68.03	1	0	12	9.80
	के पो यो - पु	7	64.23	7	0	-	60.15
उत्तरकाशी	वि आ स - पु	2	15.60	2	0	-	15.60
	के पो यो - पु	10	99.60	9	1	-	82.77
पूर्ण राज्य में (लेखा परीक्षा की तिथि तक स्थिति)		**23**	**158.20**	**6**	**05**	**12**	**94.16**
	के पो यो - पु	**54**	**657.78**	**28**	**26**	**-**	**468.67**
31-03-2018 तक स्थिति	**वि आ स - पु**	**23**	**158.20**	**11**	**12**	**-**	**113.55**
	के पो यो - पु	**54**	**657.78**	**34**	**20**	**-**	**617.87**

स्रोत : विभागीय आंकड़े।

[63] के पो यो - पु: ₹ 940.21 करोड़, वि आ स - पु: ₹ 100 करोड़, और रा आ मो नि (2013-14): ₹ 21.91 करोड़।

के पो यो - पु द्वारा वित्त पोषित 54 कार्यों में से 20 बा सु का (37 *प्रतिशत*), भा स द्वारा के पो यो - पु की धनराशि कम अवमुक्त किए जाने के कारण अपूर्ण रहे (*संदर्भ प्रस्तर-2.2.1*)। 23 में से मात्र 11 वि आ स - पु कार्य (48 *प्रतिशत*) पूर्ण थे और शेष 12 कार्य (₹ 58.23 करोड़) 25 *प्रतिशत* वित्तीय प्रगति के साथ प्रगति पर थे, क्योंकि उ स द्वारा इन कार्यों की स्वीकृति जुलाई 2017 में दी गई थी।

उपरोक्त के अलावा, इस क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अंतर्गत ₹ 21.91 करोड़ की राशि संबन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर तत्काल प्रकृति के कार्य की लिए रखी गई थी।

चमोली में बा सु का (आपदा के बाद)

चमोली में बा सु का (पुनर्निर्माण के बाद)

लेखापरीक्षा ने मुख्य अभियन्ता (मु अ), देहरादून के कार्यालय में कार्य की समग्र स्थिति के आंकलन के साथ ही पाँच नमूना परीक्षित जिलों में वि आ स - पु के 23 कार्यों में से 10 कार्य (₹ 92.05 करोड़) (43 *प्रतिशत*) और के पो यो - पु के 32 कार्यों में से 22 कार्यों (₹ 213.13 करोड़) (69 *प्रतिशत*) की जाँच की थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.4.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.4.1.1 क्षतिग्रस्त सिंचाई बुनियादी ढाँचे का अपर्याप्त आच्छादन

मु अ, सिंचाई विभाग, उ स के कार्यालय की लेखापरीक्षा जाँच (जुलाई 2017) में पाया गया कि विभाग ने विशेष म और दी पु पैकेज में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को ₹ 779.40 करोड़ की लागत के 74 बा सु का के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इसमें क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, लिफ्ट नहर योजनाओं, ट्यूब-वेल, झीलों, बैराज और भवनों के पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। इस प्रकार, विभाग द्वारा आवश्यक संख्या में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे स्थानीय जनता की आजीविका के मुख्य स्रोत का समर्थन करने के उद्देश्य के लाभ से वंचित रहा। आगे, लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 74 कार्यों में से छः बा सु का (₹ 64.28 करोड़) जून 2013 की आपदा से पहले की अवधि से संबन्धित थे। ये छः बा सु का पहले से ही विभाग के विचाराधीन थे या जून 2013 की आपदा से पहले तकनीकी सलाहकार समिति (त स स) की उचित मंजूरी के बाद विभाग की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में थे।

प्र अ कार्यालय ने कहा (मार्च 2018) कि पुनर्निर्माण कार्यों को क्षतिग्रस्त कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था और कुछ पुनर्निर्माण कार्यों को वित्तपोषण के अन्य स्रोत जैसे जिला

योजना, नाबार्ड और राजस्व व्यय के माध्यम से किया गया था। हालांकि, वित्त पोषण के अन्य स्रोतों के माध्यम से कार्यों की स्वीकृति के संबन्ध में कोई सहायक अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.4.1.2 विद्युत क्षेत्र से संबन्धित परियोजनाओं का गलत समावेशन

म और दी पु पैकेज के लिए भा स की स्वीकृति (जनवरी 2014) प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट थी जिसमें सिंचाई क्षेत्र और विद्युत / ऊर्जा क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः ₹ 1,062.12 करोड़ और ₹ 100 करोड़ था।

लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹ 125.52 करोड़ की लागत के दो कार्यों को सिंचाई विभाग के के पो यो - पु कार्यों के अन्तर्गत शामिल किया गया था, जो विद्युत क्षेत्र (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड की मनेरी-भाली स्टेज-1 व 2 की जल विद्युत परियोजनाएं) से संबन्धित हैं। जैसा कि पिछले प्रस्तर में चर्चा की गई थी, विभाग द्वारा आवश्यक धनराशि का आंकलन कम था जिसके परिणामस्वरूप कई क्षतिग्रस्त कार्य बाहर रहे। विद्युत क्षेत्र के दो कार्यों को शामिल करने से उपलब्ध धनराशि के साथ क्षतिग्रस्त कार्यों का आच्छादन और कम हो गया।

3.4.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.4.2.1 बड़ी संख्या में अनुबंधों के साथ कार्यों का अनियमित निष्पादन

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रस्तर 3, 13(अ) और 33(ग) और इस संबंध में उ स द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार ₹ 1.50 करोड़ से अधिक अनुमानित मूल्य वाले सभी कार्यों को पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने और धन का सर्वोत्तम मूल्य सुरक्षित करने के लिए एक ही पैकेज के रूप में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा (रा प्र नि) प्रक्रिया के माध्यम से ई-निविदा के आधार पर आवंटित किये जाने होते है।

पाँच नमूना परीक्षित जिलों के नौं खण्डों की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह देखा गया कि 20 बा सु का (₹ 187.73 करोड़) के निष्पादन के लिए उपरोक्त वित्तीय नियमों / निर्देशों का कोई अनुपालन इस तथ्य के बावजूद नहीं हुआ था कि निम्नतम बा सु का का मूल्य ₹ 5.68 करोड़ था। निष्पादन के लिए, इन बा सु का को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा कई अनुबंधों में विभाजित किया गया था यहाँ तक की विशेष रूप से एक ठेकेदार के माध्यम से एक भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। विभिन्न स्तरों पर दिए गए अनुबंधों की संख्या नीचे दी गई **तालिका-3.6** में दी गई है:

तालिका-3.6: विभिन्न स्तरों से दिए गए अनुबंधों की संख्या का विवरण

जिले का नाम	नमूना बा सु का		प्रत्येक स्तर पर दिए गए अनुबंधों की संख्या			निष्पादित अनुबंधों की कुल संख्या
	संख्या	लागत *(₹ करोड़ में)*	अधीक्षण अभियंता (अधी अ)	अधिशासी अभियंता (अ अ)	सहायक अभियंता (स अ)	
बागेश्वर	03	30.39	01	45	72	118
चमोली	05	48.00	03	34	533	570
पिथौरागढ़	03	29.83	02	25	04	31
रुद्रप्रयाग	07	63.91	03	96	343	442
उत्तरकाशी	02	15.60	04	08	42	54
योग	***20***	***187.73***	***13***	***208***	***994***	***1,215***

कुल 1,215 अनुबंधों में से, अ अ / स अ द्वारा 56 ठेकेदारों को ₹ 39.73 करोड़ धनराशि के 193 अनुबन्ध, वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन और वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-6) के नियम[64]-369 और 370 का उल्लंघन करते हुए दिये गये थे, जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

कई अनुबंधों के माध्यम से बा सु का का कार्यान्वयन अनियमित, गैर-पारदर्शी था और रा प्र नि प्रक्रिया के माध्यम से ई-निविदा को न अपनाने के कारण धन के सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

प्र अ ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि सरकार द्वारा किश्तों में बजट के आवंटन और कार्य स्थल की स्थिति को विचार करते हुये कार्यों को कई अनुबन्धों के माध्यम से निष्पादित किया गया था। यदि पूरे कार्य को एक ही ठेकेदार को दिया जाता तो निर्धारित समय पर कार्यों के अपूर्ण रहने की संभावना हो सकती थी। हालांकि, उत्तर को इन तथ्यों के आलोक में देखा जाना चाहिए कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक 20 चयनित बा सु का में से पाँच को पूर्ण नहीं किया गया था।

3.4.2.2 वांछित ऊंचाई तक बाढ़ सुरक्षा कार्य को निष्पादित न किया जाना

सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रत्येक बा सु का को सभी तथ्यों जैसे बाढ़ का उच्च स्तर और संबन्धित नदी की कटान की गहराई पर विचार करने के बाद प्र अ की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति (त स स) द्वारा पास किया जाता है। त स स (अक्टूबर 2013) ने रुद्रप्रयाग जिले के मन्दाकिनी नदी पर गंगानगर, जवाहर नगर, बेडुबगढ़ और सौंदित बाजार में एक बा सु का पाँच मीटर की ऊंचाई तक निष्पादित करने के लिए पास किया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बा सु का की ऊंचाई को सिंचाई खण्ड, अगस्तमुनी द्वारा कार्य निष्पादित करते समय एक मीटर कम (चार मीटर) रखा गया था। न तो पुनरीक्षित ऊंचाई को त स स से अनुमोदित कराया गया था और न ही उपलब्ध ₹ 46.72 लाख की बचत (एक मीटर तक ऊंचाई में कमी के कारण) को खण्ड द्वारा समर्पित किया गया था क्योंकि इसे बिना किसी अनुमोदन के कार्य की अन्य मदों पर व्यय कर दिया गया था। मु अ ने कहा कि इस प्रकरण में जाँच की जाएगी और तदनुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

3.5 विद्युत और ऊर्जा

2013 की आपदा ने राज्य भर में विद्युत व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके परिणामस्वरूप, लगभग 3,758 गांवों और बस्तियों में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हुआ। राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार, विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र की चिन्हित क्षति ₹ 328.28 करोड़ थी, लेकिन राज्य सरकार ने यू जे वी एन एल की 553.85 मेगावॉट की स्थापित क्षमता वाले 13 (10 लघु और 3 बड़े) चालू / परिचालनरत जल विद्युत परियोजनाओं (ज वि प) की बहाली के लिए, 126 गांवों / बस्तियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने वाली उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

[64] प्रस्तर-370 प्रावधानित करता है कि कोई भी प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा "वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन" के अंतर्गत शक्ति न हो वो अनुबंध गठित नहीं कर सकता है और प्रस्तर-369 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय नियम इस बात की व्याख्या करता है कि कोई व्यक्तिगत ठेकेदार किसी कार्य या आगणन के लिए द्वितीय अनुबंध तब तक स्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक प्रथम गतिमान हो, यदि अनुबंधों की कुल योग संबन्धित प्राधिकारी के वित्तीय शक्ति की स्वीकार सीमा से अधिक हो।

(उरेडा) की 46 लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प) जिनकी सयुक्त स्थापित क्षमता 6.47 मेगावॉट थी और यू जे वी एन एल / उरेडा के ल ज वि प द्वारा 109 गांवों के उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) के वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिये म और दी पुन पैकेज के अन्तर्गत ₹ 151.80 करोड़ की माँग की।

उ स की ₹ 151.80 करोड़[65] की माँग के सापेक्ष, भा स ने वि आ स-पु के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़[66] की स्वीकृति / अवमुक्ति इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की कि यू जे वी एन एल (₹ 47.60 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 4.20 करोड़) की शेष राशि बाजार स्रोतों से जुटाई जाय क्योंकि ये विद्युत इकाईयाँ वाणिज्यिक संस्थायें हैं। हालांकि, उ स द्वारा यू जे वी एन एल (₹ 57.72 करोड़) और यू पी सी एल (₹ 60.60 करोड़) के संबन्ध में वास्तविक आवंटन अधिक था, जैसाकि प्रस्तर 2.2.4 में वर्णित किया गया है।

3.5.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

3.5.1.1 बहु स्रोतों के वित्तपोषण हेतु प्रस्तावों को प्रेषित करना

2013 की आपदा में उरेडा की कुल 46 ल ज वि प क्षतिग्रस्त हुयी थी और इन ल ज वि प की पुनर्स्थापना के लिये ₹ 17.60 करोड़ की माँग को भा स द्वारा वि आ स - पु के अन्तर्गत पूर्णत: स्वीकृत / उपलब्ध कराया गया था। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि उरेडा ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टी एच डी सी) इंडिया लिमिटेड (केन्द्रीय-सा क्षे इ) से 25 ल ज वि प के लिये वापस न की जाने योग्य धनराशि ₹ 181.24 लाख और राष्ट्रीय / राज्य आ मो नि के अंतर्गत संबन्धित जिला प्राधिकारियों से 11 ल ज वि प के लिए ₹ 91.73 लाख इस तथ्य के बावजूद प्राप्त किये कि इन ल ज वि प की पुनर्स्थापन के लिये आवश्यक धनराशि पहले ही भा स द्वारा वि आ स-पु के अन्तर्गत स्वीकृत / उपलब्ध कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप उरेडा के पास निधियां अनुपयोगित रही *(संदर्भ प्रस्तर 2.2.5)*।

इसी प्रकार, यू पी सी एल के एक विद्युत वितरण खण्ड (उत्तरकाशी) ने 11 केवी लाइनों के पाँच क्षतिग्रस्त कार्यों की पुनर्स्थापन के लिये प्रस्ताव वि आ स - पु के अन्तर्गत शामिल होने के बावजूद जिलाधिकारी-उत्तरकाशी से राज्य आ मो नि के अन्तर्गत ₹ 36.56 लाख प्राप्त किए।

3.5.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दे

3.5.2.1 अपुनर्स्थापित जल विद्युत परियोजनाएं

2013 की आपदा में 553.85 मेगावॉट की स्थापित क्षमता वाले यू जे वी एन एल के स्वामित्व की कुल 13 चालू / परिचालनरत जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थीं। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि:

- ₹ 57.72 करोड़ की आवंटित धनराशि के सापेक्ष, यू जे वी एन एल ने 95.25 मेगावॉट (मनेरी भाली स्टेज-1: 90 मेगावॉट, उर्गम: 3 मेगावॉट और पिलंगाड़: 2.25 मेगावॉट) की केवल तीन जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्स्थापन का कार्य लिया, जिनमें से दो जल विद्युत परियोजनाएं

[65] यू जे वी एन एल (₹ 80 करोड़), उरेडा (₹ 17.60 करोड़), यू पी सी एल (₹ 54.20 करोड़)।

[66] यू जे वी एन एल के लिये ₹ 32.40 करोड़, उरेडा के लिये ₹ 17.60 करोड़, यू पी सी एल के लिये ₹ 50 करोड़।

(मनेरी भाली-1 और उरगम) पुनर्स्थापित कर दी गई थी। पिलंगाड जल विद्युत परियोजना (2.25 मेगावॉट) का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर था।

- यू जे वी एन एल द्वारा 448 मेगावॉट (चिल्ला और मनेरी भाली-2) के दो जल विद्युत परियोजनाएं कुछ महीनों के भीतर अपने संसाधनों से पुनर्स्थापित कर दी गई थी और 7.40 मेगावॉट की छः लघु जल विद्युत परियोजनाओं (ल ज वि प)[67] को स्वीकृत धनराशि के हस्तगत किये बिना ही उरेडा को हस्तांतरित (2013-14) कर दिया गया था।

इस प्रकार, राज्य सरकार से ₹ 25.32 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति तथा छः ल ज वि प को उरेडा को स्थानांतरित किए जाने के बावजूद यू जे वी एन एल ने केवल चार जल विद्युत परियोजना को पुनर्स्थापित किया और 5.45 मेगावॉट की शेष तीन जल विद्युत परियोजनाओं का पुनर्स्थापन नहीं किया गया था। यू जे वी एन एल ने दो अनारम्भ परियोजनाओं (3.2 मेगावॉट की कंचौटी और कुलागाड़) के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि भा स द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण पुनर्स्थापन कार्य शुरू नहीं हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भा स की स्वीकृति के अनुसार यू जे वी एन एल को अवशेष धनराशि की व्यवस्था बाजार स्रोतों से करनी थी।

आरम्भ में स्वीकृत 13 कार्यों के अलावा, 9 मेगावॉट की दो अतिरिक्त परियोजनाओं (ज वि प) असिगंगा-I और II के लिये ₹ 23.81 करोड़ की स्वीकृत दी गयी थी। हालांकि, इन दो ज वि प के पुनर्स्थापन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था क्योंकि भा स द्वारा इस क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील परिक्षेत्र घोषित किया गया था।

उरेडा की 46 ल ज वि प जिन्हें क्षतिग्रस्त चिन्हित किया गया था के अतिरिक्त, 06 ल ज वि प को यू जे वी एन एल से स्थानांतरित किया गया था। इनमें से, 46 ल ज वि प (यू जे वी एन एल से स्थानांतरित तीन ल ज वि प को शामिल करते हुये) का काम पूर्ण हो चुका था, जबकि चार ल ज वि प (4.8 मेगावॉट)[68] का पुनर्स्थापन कार्य विभिन्न कारणों से लंबित है। इस संबंध में उरेडा ने उत्तर दिया (मार्च 2018) कि रेलागाड़ ज वि प का कार्य प्रगति पर है; दो ल ज वि प (तरुला और कोटिझाला ल ज वि प) के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है; और छीरकिला ल ज वि प के लिए स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है (दिसंबर 2017) एवं इसका कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होगा। एक परियोजना (ज वि पः पिंसवाड़) को निरस्त किया जा चुका है क्योंकि यू पी सी एल[69] द्वारा इस ज वि प के लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति प्रदान कर दी गई थी और सोनप्रयाग ल ज वि प की पुनर्स्थापना संभव नहीं है क्योंकि यह बाद की आपदा 2015 में पूरी तरह से बह चुका था।

इस प्रकार, जून 2013 आपदा से चार वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी सात क्षतिग्रस्त ज वि प / ल ज वि प (10.25 मेगावॉट) के पुनर्स्थापन के निर्दिष्ट उद्देश्य अप्राप्त रहे, जबकि चार ज वि प/ल ज वि प (9.55 मेगावॉट) के कार्य को अव्यवहार्यता के कारण निरस्त कर दिया गया था।

---

[67] ल ज वि पः बद्रीनाथ-II (1.25 मे वा), पांडुकेश्वर (0.75 मे वा), थराली (0.4 मे वा), छीरकीला (1.5 मे वा), रेलागाड़ (3 मे वा) और सोनप्रयाग (0.50 मे वा)।

[68] तरुला (100 कि वा), कोटिझाला (200 कि वा), छिर्किला (1.5 मे वा), रेलागाड़ (3 मे वा)।

[69] दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत।

3.5.2.2 उरेडा द्वारा अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (वि प रि) तैयार करने पर निष्फल व्यय

उरेडा को नौं ल ज वि प की वि प रि तैयार करने के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 43.98 लाख की राशि प्रदान की गई थी जो 2013 में आपदा में नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उरेडा ने ₹ 36.20 लाख की लागत से आठ वि प रि तैयार की जिनमें से चार वि प रि का उपयोग ल ज वि प की पुनर्स्थापन के लिये किया गया था। ₹ 18.50 लाख की लागत से तैयार शेष चार वि प रि[70] का उपयोग नहीं किया गया था क्योकि दो ल ज वि प (भिकुरियागाड़ और बालीघाट) का प्रस्तावित पुनर्स्थापन कार्य प्रस्तावित कार्यस्थल पर ल ज वि प अव्यवहारित होने के कारण बाद में निरस्त कर दिया गया था। यू जे वी एन एल से दो ल ज वि प के हस्तांतरण की प्रत्याशा में दो वि प रि तैयार किए गये थे, जो सार्थक नहीं हो पाये। इस प्रकार, इन चार वि प रि की तैयारी पर किए गये ₹ 18.50 लाख का व्यय निष्फल रहा।

3.5.2.3 उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा कार्यों के निष्पादन में असामान्य देरी

उ स ने वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 2.28 करोड़ की राशि 33/11 किलोवाट (कि वा) उप-स्टेशन कर्मी (बागेश्वर) से 11 किलोवाट लाइन के निर्माण के लिए यू पी सी एल को निर्गत की (जून 2014)। इस कार्य को टर्न-की आधार पर ₹ 2.15 करोड़ (आपूर्ति: ₹ 1.63 करोड़ और संयोजन: ₹ 52.58 लाख) की लागत पर अनुबंधित (दिसंबर 2014) किया गया जिसे नौं माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य ₹ 2.15 करोड़ के व्यय के बाद तीन वर्ष व्यतीत के पश्चात भी पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए, प्रभावित क्षेत्र मे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका। प्रबन्धन ने बताया कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के कारण कार्य में देरी हुई।

3.6 लोक भवन

3.6.1 आयोजनागत सम्बन्धी मुद्दे

सं त्व क्ष और आ आ रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 995 लोक भवन[71] क्षतिग्रस्त थे (212 पूर्ण और 783 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त)। हालांकि, पुनर्निर्माण के लिए म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत 836 आंशिक / पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों[72] को योजनाबद्ध/स्वीकृत किया गया था।

---

70 ल ज वि प: बालीघाट, भिकुरियागाड़, कंचौटी और कुलागाड़।

71 शिक्षा (873), स्वास्थ्य (56), महिला एवं बाल विकास विभाग (49), खण्ड कार्यालय और आवास (17)।

72 **21 भवन** (₹ 74.35 करोड़) उ आ रि प के अंतर्गत (प्राथमिक विद्यालय: 08, इण्टर कॉलेज: 04, पीजी कॉलेज छात्रावास: 01, पुलिस / दमकल स्टेशन: 04, औषधालय / स्वास्थ्य उप-केन्द्र: 02, औ प्र सं भवन: 01, और खाद्य भण्डार: 01), **32** औ प्र सं **भवन** (₹ 50.00 करोड़) वि आ स-पु के अंतर्गत, **736 विद्यालय भवन** (₹ 35.94 करोड़) सर्व शिक्षा अभियान के तहत (के पो यो - पु), और **47 भवन** (₹ 0.98 करोड़) एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत (के पो यो - पु)।

3.6.1.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों की स्वीकृति में देरी

वि आ स - पु के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड के युवाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधनों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) और पॉलिटेक्निकों के सुदृढीकरण/निर्माण के लिए म और दी पु के अन्तर्गत ₹ 50 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई थी जो उनके वर्तमान व्यवसाय को प्रतिस्थापित / अनुपूरक कर सके। इसके सापेक्ष, निर्माण के लिए 32 औ प्र सं भवन चिन्हित किए गए थे, लेकिन ₹ 36.62 करोड़ की लागत से केवल 22 औ प्र सं भवनों के लिए प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दी गई और शेष 10 औ प्र सं भवनों को उ स द्वारा आज भी स्वीकृत किया जाना बाकी है।

3.6.1.2 गैर अनुमन्य विद्यालयी भवनों का आच्छादन

के पो यो - पु (सर्व शिक्षा अभियान-स शि अ) के अन्तर्गत, 2013 आपदा के दौरान 159 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त और 577 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिये भा स द्वारा ₹ 35.94 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। हालांकि, चयनित जिलों की लेखापरीक्षा जाँच मे पाया गया कि 2013 की आपदा में 63 विद्यालय भवन[73] (114 स्वीकृत विद्यालय भवनों में से) वास्तव में क्षतिग्रस्त नहीं हुये थे। इन 63 विद्यालय भवनों (₹ 8.54 करोड़) के पुनर्निर्माण कार्य 2012-13 और 2013-14 के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल थे। इसलिये, विभाग द्वारा इन भवनों का आच्छादन गैर अनुमन्य था।

3.6.2 कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दें

3.6.2.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ प्र सं) की स्थापना के लिए भवन

15 औ प्र सं भवनों (₹ 15.18 करोड़) का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि), देहरादून के यूनिट-1 को सौंपा गया (मार्च 2014) और सात औ प्र सं भवनों का निर्माण कार्य (₹ 21.44 करोड़) ब्रिड़कुल (सेतु, रोपेवे, टनल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड), देहरादून को सौंपा गया था। उ स द्वारा ब्रिड़कुल को कार्य बहुत देर से (सितंबर 2016) दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण में देरी हुई। कार्यों की भौतिक प्रगति केवल नौं और 55 *प्रतिशत* के बीच थी।

उ प्र रा नि नि में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि:

- हालांकि, मार्च 2014 में उ स द्वारा कार्य को स्वीकृति दे दी गई थी, तीन औ प्र सं भवनों (कठ्पुडियाछिना, थल और गंगोलीहाट) का कार्य उ प्र रा नि न द्वारा शुरू नहीं किया गया क्योकि तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन भवनों के लिए भूमि सितंबर 2016 में प्रदान की थी। स्वीकृत आगणन के अनुसार निर्माण कार्य सम्भव न हो सका क्योंकि आगणन पुरानी दरों की अनुसूची पर आधारित थे।

[73] उत्तरकाशी (35), रुद्रप्रयाग (6), चमोली (22)।

- उ प्र रा नि नि द्वारा बड़ाबे (पिथौरागढ़) और बसुकेदार (रुद्रप्रयाग) के दो औ प्र सं भवनों का निर्माण प्रस्तावित निर्माण कार्य स्थलों तक पहुंच मार्ग के लिए जमीन की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया गया था जो तकनीकी शिक्षा विभाग के खराब नियोजन की ओर इंगित करता है।
- औ प्र सं धोंन्त्री (उत्तरकाशी) के भवन का निर्माण कार्य ₹ 1.04 करोड़ के व्यय के बाद स्थानीय जनता (अप्रैल 2016) द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण बीच मे ही रोक दिया गया था जहाँ स्थल पर ₹ 0.66 करोड़ की अप्रयुक्त सामग्री पड़ी थी।
- उ प्र रा नि नि ने सात औ प्र सं के निर्माण कार्य को पूरा किया लेकिन विभाग द्वारा धनराशि आवंटित न किये जाने के कारण उ प्र रा नि नि द्वारा ₹ 2.17 करोड़ की लागत वाले चार औ प्र सं भवनों का स्थल विकास किया जाना लम्बित (जुलाई 2017) था।
- चिरबटिया और ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) में औ प्र सं भवन स्वीकृत लागत ₹ 2.06 करोड़ के सापेक्ष ₹ 0.72 करोड़ (जुलाई 2017) की वित्तीय प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे।

औ प्र सं भवनों के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 1,681 युवा हर वर्ष आजीविका के वैकल्पिक साधनों के 19 ट्रेडों में प्रशिक्षण से वंचित रहे।

3.6.2.2 उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण

उ आ रि प के अन्तर्गत, लोक भवनों के लिए एक समर्पित प क्रि इ[74] विभिन्न विभागों के 21 भवनों[75] (₹ 74.35 करोड़ की लागत वाले 16 पैकेजों के अन्तर्गत) के पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा था, जिनके पूर्ण होने की लक्षित तिथि दिसंबर 2017 थी। प क्रि इ-लोक भवन, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2017) के दौरान निम्नलिखित बिन्दु उजागर हुये थे:

- प क्रि इ केवल छः भवनों[76] (₹ 8.08 करोड़) के पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर सकी और 13 पुनर्निर्माण कार्य (₹ 45.29 करोड़) 10 से 83 *प्रतिशत* की भौतिक प्रगति के साथ निर्माणाधीन थे (अगस्त 2017)।
- औ प्र सं-भवन, श्रीनगर (₹ 10.49 करोड़) का कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका क्योंकि इसका मूल स्थल ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित था।
- श्रीनगर में खाद्य गोदाम का निर्माण ₹ 1.67 करोड़ के व्यय के पश्चात बंद (अक्टूबर 2016) कर दिया गया था और इसे अन्य स्थान (मुख्य शहर श्रीनगर) में स्थानांतरित (मई 2017) कर दिया गया, क्योंकि मूल स्थल भूमिगत जलस्राव से ग्रसित और मौसमी नाले के मुख्य धारा पर स्थित था और खाद्य भंडारण के लिए यह स्थल उपयुक्त नहीं था। स्थल के चयन मे त्रुटि के कारण ₹ 1.67 करोड़ का पूरा व्यय व्यर्थ हो गया।

कार्यक्रम प्रबंधक (उ आ रि प) ने इसका उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि भूस्खलन की वजह से मूल स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया, जिसके लिए परियोजना को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की

---

[74] सेतु, रोपवे, टनल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, (ब्रिड्कुल), देहरादून की एक इकाई।

[75] प्राथमिक विद्यालय: 08, इण्टर कॉलेज: 04, परा. म. का छात्रावास: 01, पुलिस / दमकल स्टेशन: 04, औषधालय / स्वास्थ्य उप-केन्द्र: 02, औ प्र सं भवन: 01, और खाद्य भण्डार: 01।

[76] 04 प्राथमिक विद्यालय, 01 इण्टर कालेज और 01 स्वास्थ्य उप-केन्द्र के लिये भवन।

लागत से अधिक लागत के उपचार कार्य की आवश्यकता थी। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रारंभिक सर्वेक्षण (अप्रैल 2014) में यह संकेत मिल चुके थे कि कार्य स्थल भूस्खलन और भूमिगत जलस्राव के दायरे में था क्योंकि यह मौसमी नाली के मुख्यधारा में स्थित था। इसके बावजूद, परियोजना को इस स्थल पर अवस्थित किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः स्थानांतरण और परिहार्य व्यय हुआ।

3.7 रिहायशी आवास

उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अंतर्गत, स्वामित्व चलित आवास निर्माण (स्वा च आ नि) के अंतर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण को वि बैं द्वारा वित्तपोषित किया गया था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संस्तुतियों पर संबन्धित प क्रि इ द्वारा लाभार्थियों को भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया गया था। राज्य के प्रभावित पाँच जिलों में स्वा च आ नि लाभार्थियों के अभिलेखों की जाँच ने निम्नलिखित कमियाँ पायी गई:

बागेश्वर में स्वामित्व चलित आवास निर्मित

3.7.1 भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक के बिना लाभार्थियों का चयन

उ स (अक्टूबर 2013) द्वारा निर्धारित नीति के प्रावधानों के अनुसार, घरों का निर्माण उन लाभार्थियों की भूमि पर होना था जिनके पास जमीन का मालिकाना हक उनके नाम हो। पाँच जिलों में चयनित लाभार्थियों से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि 136 लाभार्थियों, जिनके नाम जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्हें भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया था, जैसा कि निम्न **तालिका-3.7** में सारांशित है:

तालिका-3.7: बिना भूमि के स्पष्ट मालिकाना हक वाले लाभार्थियों का विवरण

जिले का नाम	जिले मे कुल लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या, जिनके नाम भूमि का मालिकाना हक दर्ज नहीं था	लाभार्थियों को वितरित धनराशि[77] (*₹ करोड़ में*)
पिथौरागढ़	655	19	0.95
बागेश्वर	96	09	0.45
उत्तरकाशी	296	18	0.90
रुद्रप्रयाग	860	52	2.60
चमोली	581	38	1.90
योग	***2,488***	***136***	***6.80***

स्रोत: परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ), आवास, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निकास गोष्ठी में, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लाभार्थियों का चयन जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन / संस्तुतियों के अनुसार किया गया था। हालांकि, अग्रेतर जाँच का कोई और आश्वासन प्रदान नहीं किया गया था।

[77] योजना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक लाभार्थी चार किश्तों मे ₹ 0.05 करोड़ की राशि पाने का हकदार था।

3.7.2 राज्य सरकार को पुरानी संपत्ति का हस्तांतरण न किया जाना

स्वा च आ नि योजना के अंतर्गत आवासीय घरों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार उन मामलों में जहाँ लाभार्थियों को नए स्थानों पर भूमि प्रदान की जाती है, क्योंकि मूल स्थानों को असुरक्षित / आपदा प्रवृत्त घोषित किया गया हो, सभी क्षतिग्रस्त संपत्ति (पुराना स्थल और पुराने घर) राज्य सरकार की सम्पत्ति होगी और संबन्धित जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरानी संपत्ति राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित की गयी है। लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि आपदा प्रभावित पाँच जिलों में राज्य सरकार के पक्ष में क्षतिग्रस्त संपत्ति / घरों का कोई भी हस्तांतरण इस तथ्य के बावजूद भी नहीं हुआ था कि राज्य सरकार ने स्वा च आ नि के निर्माण के लिए 127 लाभार्थियों[78] को भूमि प्रदान की थी क्योंकि घरों के निर्माण के लिये उनकी भूमि सुरक्षित नहीं थी।

निकासी सम्मेलन में सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ने जवाब दिया कि इस संबन्ध में यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

3.8 कृषि और मृदा संरक्षण

राज्य सरकार ने मृदा संरक्षण गतिविधियों और बाढ़ से बहे कृषि भूमि के पुनर्स्थापन के लिए वि आ स - पु के अन्तर्गत ₹ 14 करोड़ का अनुरोध किया था। भा स द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। विभाग ने निर्गत की गई धनराशि से ₹ 13.49 करोड़ के 241 मृदा संरक्षण कार्यों और ₹ 0.51 करोड़ के विभागीय संपत्तियों के चार पुनर्निर्माण कार्यों को निष्पादित किया, जिनमें से 94 कार्यों (39 *प्रतिशत*) की लेखा परीक्षा में जाँच की गई थी। विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। विभाग के मृदा संरक्षण कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी:

विभाग ने सभी भूमि संरक्षण कार्यों को बिना निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किए निष्पादित किया। यह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के विरुद्ध था जो निर्धारित करता है कि रूपये तीन लाख से अधिक के सभी कार्यों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया जाना चाहिए।

3.9 वन और जैव विविधता

सं त्व क्ष और आ आ रिपोर्ट के अनुसार, 149 आवासीय भवन, 50 गैर आवासीय भवन, 998 किलोमीटर (किमी) वन मार्ग, 2,545 किमी पैदल मार्ग, 76 पुल / कल्वर्ट, 63 नर्सरी, लगभग 247.50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य और लगभग 1,787 मृदा और जल संरक्षण कार्य आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग को जून 2013 की आपदा के पश्चात 13 प्रभागों से ₹ 74.97 करोड़ की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और जिन्हें राज्य सरकार को भेजा गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने केवल ₹ 54 करोड़ धनराशि के लिए अनुरोध किया जिसे वि आ स - पु के अन्तर्गत भा स द्वारा अनुमोदित किया गया था।

[78] पिथौरागढ़: 51, बागेश्वर: 31, चमोली: 40, और रुद्रप्रयाग: 05।

राज्य सरकार ने आठ प्रभागों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वि आ स- पु के अन्तर्गत ₹ 34.97 करोड़ की स्वीकृति जारी की जो पुनर्स्थापन कार्यों के लिए विभाग द्वारा माँग की गयी आवश्यक धनराशि का 47 *प्रतिशत* था। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा विभाग के चार मण्डलों के लिए वास्तविक धनराशि की अवमुक्ति मात्र ₹ 27.72 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष मार्च 2018 तक ₹ 12.35 करोड़ व्यय किया गया था।

3.9.1 राज्य आपदा मोचन निधि (राज्य आ मो नि) से निष्पादित कार्य

टोन्स वन प्रभाग, पुरोला ने क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट / अनुमानों के आधार पर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को ₹ 5.19 करोड़ के 138 पुनर्स्थापन कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए। इसके अलावा, प्रभाग ने जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को ₹ 4.19 करोड़ राशि के 76 कार्यों के वि प रि प्रस्तुत की। अवशेष कार्यों के वि प रि प्रेषित नहीं की क्योंकि वे क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुयी थी। प्रभाग द्वारा किए जाने वाले 76 पुनर्स्थापन कार्यों के सापेक्ष जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ने केवल 14 कार्यों के पुनर्स्थापन के लिए ₹ 0.45 करोड़ की धनराशि निर्गत की और अवशेष 62 पुनर्स्थापन कार्यों को धनराशि निर्गत न किए जाने के कारण निष्पादित नहीं किया जा सका।

3.10 एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का)

भा स ने म और दी पु पैकेज के माध्यम से उत्तराखण्ड के पाँच अति आपदा प्रभावित जिलों में एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (ए ज प्र का) के सात परियोजनाओं के लिए के पो यो - पु के अन्तर्गत ₹ 150 करोड़[79] का परिव्यय अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि संसाधन विभाग (भू सं वि), भा स ने राज्य सरकार को ₹ 49.77 करोड़ निर्गत किए (मई 2014) और राज्य सरकार ने राज्यान्श सहित ₹ 55.30 करोड़ राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण (रा स्त नो अ) को ए ज प्र का के लिए स्थानांतरित किया (जुलाई 2014)। यह पाया गया कि 2014-15 से 2017-18 के दौरान रा स्त नो अ द्वारा पाँच अति आपदा प्रभावित जिलों में सात परियोजनाओं के लिये प क्रि इ को मात्र ₹ 23.31 करोड़ रुपये निर्गत किए गए थे। इनमें से, मार्च 2018 तक आपदा प्रभावित परियोजनाओं की प क्रि इ द्वारा केवल ₹ 17.47 करोड़ (***परिशिष्ट-3.9***) का उपयोग किया गया था, जो परियोजनाओं की धीमी प्रगति को दर्शाते हैं।

इंगित किये जाने पर, रा स्त नो अ ने जवाब दिया कि योजना दिशानिर्देशों के समयसीमा के अनुसार प्रारम्भिक स्टेज (1-2 वर्ष) समय सीमा के अन्दर पूर्ण हो गए थे और प्रारम्भिक स्टेज समापन रिपोर्ट भू सं वि को जमा की गई थी (मई 2016) और भू सं वि से परियोजनाओं की अवशेष राशि निर्गत करने का अनुरोध किया था। हालांकि, जलागम परियोजनाओं के अवशेष धनराशि को भा स द्वारा निर्गत नहीं किया गया है (मार्च 2018)।

3.11 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

उ आ स प के अंतर्गत 12 पेयजल परियोजनायें थी। लेखापरीक्षा द्वारा इन 12 परियोजनाओं का चयन नगरों/कस्बों को की जाने वाली जलापूर्ति की मात्रा की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु

[79] भा स द्वारा ₹ 135 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा ₹ 15 करोड़ वहन किया जाना था।

किया गया था। मात्रा एवं गुणवत्ता रिपोर्ट से देखा गया था कि जलापूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में स्वीकृत डिज़ाइनों के मानक के अनुरूप थी। साथ ही, जलापूर्ति की निगरानी खण्डीय स्तर के साथ-साथ उत्तराखण्ड जल संस्थान के देहरादून मुख्यालय पर स्थापित / प्रदर्शित आनलाईन पर्यवेक्षण नियन्त्रण व डाटा प्राप्ति प्रणाली के द्वारा की जा रही थी।

3.12 आपदा तैयारियों से संबन्धित अन्य गतिविधियां

3.12.1 विभागीय योजना और बजट की कमी

आपदा प्रबन्धन (आ प्र) अधिनियम, 2005 यह प्रावधानित करता है कि राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (रा आ प्र प्रा) राज्य के आ प्र योजना को तैयार करेगा, राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के पालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा और आपदाओं की रोकथाम के उपायों के एकीकरण और उनमे कमी लाने के उद्देश्य से योजनाओं / परियोजनाओं को विकसित करने में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आ प्र अधिनियम की धारा-18 में यह भी कहा गया है कि विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबन्धन योजना (आ प्र यो) की स्वीकृति, शमन और तैयारी उपायों के लिए धनराशि के प्रावधान की सिफारिश; और राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य प्राधिकरण (रा आ प्र प्रा) की होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा आ प्र प्रा द्वारा राज्य आ प्र योजना तैयार की गई थी लेकिन राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना (आ प्र यो) तैयार नहीं की। इसके अलावा, आ प्र अधिनियम-2005 के अधिनियमन के 12 वर्षों से अधिक समय के बाद भी आपदा के रोकथाम, शमन और तैयारी के लिए उनके विभागीय बजट में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग (आ प्र वि) ने जवाब दिया कि राज्य सरकार विभागीय आपदा प्रबंधन योजना (वि आ प्र यो) की तैयारी और सुरक्षित प्रौद्योगिकी आदि को अपनाने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर रही है। आ प्र वि ने वि आ प्र यो की तैयारी के लिए कार्यकारी विभागों को जनवरी 2008 में दिशानिर्देश जारी किए थे। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आ प्र अधिनियम के अधिनियमन के बारह वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी, राज्य सरकार के कार्यकारी विभागों ने न तो आ प्र यो तैयार की और न ही आपदा प्रबंधन से संबन्धित गतिविधियों के लिए उनके वार्षिक बजट में प्रावधान था।

3.12.2 परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प क्रि इ) - आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास से कोई सहयोग प्राप्त न होना

2013 की आपदा के दौरान, आपदा के प्रबंधन में राज्य की संस्थागत क्षमता को चुनौती प्रस्तुत हुई थी। इसलिए, उ स ने आपदा जोखिम में कमी और आपदा के प्रभाव से समुदायों को तेजी से उभारने में मदद पर काम करने की आवश्यकता को पहचाना। दिसम्बर 2017 तक उ रा आ प्र प्रा और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) में ₹ 228 करोड़ की लागत से आपदा जोखिम प्रबन्धन के लिये तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) का एक घटक शामिल किया गया था (फरवरी 2014)। इस

उद्देश्य से निम्नलिखित उपघटक के प्रबंधन के लिए एक समर्पित प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि का गठन किया गया:

- उत्तराखण्ड के बहु-जोखिम मूल्यांकन की योजना स्थापित व कार्यान्वित करने के लिए संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु **उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र (उ अ उ के) की जोखिम आंकलन, मॉडलिंग और क्षमता में वृद्धि**।
- कई स्रोतों से सूचना को एकीकृत और विश्लेषण करने और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीकों तक पहुंच प्रदान करने हेतु **निर्णय समर्थन प्रणाली (नि स प्र) की स्थापना**।
- आपदा से प्रभावित कुछ प्रमुख नदियों के नदी किनारे को मजबूत करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक आधारभूत संरचना कार्यों का विश्लेषण और पहचान करने हेतु **नदी आकृति वैज्ञानिक अध्ययन**।
- मौजूदा सफल तकनीकों, इस क्षेत्र में चल रहे अत्याधुनिक काम और अनुसंधान से **ढाल स्थिरीकरण अध्ययन**।
- आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र (आ प्र न्यू कें) में सुविधाओं के तकनीकी संवर्द्धन, संस्थागत स्थापना के विकास से **उ रा आ प्र प्रा को सुदृढ़ बनाना**।
- आपातकालीन तैयारी की बढ़ोत्तरी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने हेतु राज्य में **जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (प्रा चे प्र) को सुदृढ़ बनाना**।
- राज्य की आपदा प्रतिक्रिया बल की **आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करना**।

प्रत्येक उप-घटक के उद्देश्य और उनके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां, कार्यों की प्रगति के साथ ***परिशिष्ट-3.10*** में दी गई हैं।

लेखापरीक्षा जाँच मे ज्ञात हुआ कि प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि, देहरादून जिसे इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर उ रा आ प्र प्रा और अन्य सरकारी संस्थाओं को वांछित सहयोग प्रदान नहीं कर सकी।

- नि स प्र की स्थापना (₹ 18 करोड़) से संबन्धित कार्य और उ रा आ प्र प्रा के संस्थागत स्थापना विकास कार्य (₹ 30 करोड़) को मार्च 2018 तक प क्रि इ द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया था। नि स प्र के लिए किए जाने वाले कार्यों के 'संदर्भ की शर्तों' को अन्तिम रूप न देने और उ रा आ प्र प्रा के संस्थागत स्थापना के लिए कर्मचारियों के प्रस्ताव की स्वीकृति में देरी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके।
- चार उप-घटकों के लिए आंशिक अनुबंध (₹ 162 करोड़ की आवंटित धनराशि में से ₹ 77 करोड़ लागत के) विभिन्न परामर्शदाता फर्मों को बहुत देरी[80] से सौंपे गए परिणामस्वरूप, वांछित परिणामों को प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

[80] जोखिम आकलन और मॉडलिंग (मई 2016), नदी आकृति वैज्ञानिक अध्ययन (दिसंबर 2015), ढलान स्थिरीकरण (जून 2016), और जल - मौसम विज्ञान नेटवर्क और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना (मार्च 2015 में स्टेज-1 और जून 2018 में स्टेज-2)।

- राज्य की आपदा प्रतिक्रिया बल की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए स्टेज-III का कार्य (₹ 7.57 करोड़) किया जाना बाकी था (मार्च 2018)।

जवाब में, प क्रि इ-आ जो प्र त स और क्ष वि ने कहा (अक्टूबर 2017) कि घटकों के प्रमुख भाग को वाह्यस्रोत आधारित कार्य के रूप में निष्पादित किया जाना था जिनकी प्रकृति जटिल और अद्वितीय होने के कारण अंतिम रूप देने में समय लगा। आगे यह भी कहा गया कि निर्धारित धनराशि के कुछ भाग को उ प्रा स के दिशा-निर्देशानुसार प क्रि इ (मार्ग और सेतु) को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अतिरिक्त धन की प्राप्ति के लिए वि बैं से संपर्क में है, और एक बार धन उपलब्ध हो जाने पर शेष कार्यों का कार्यान्वयन कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उ प्रा स द्वारा धनराशि का हस्तांतरण, प क्रि इ को आवंटित धनराशि के धीमे उपयोग[81] के कारण किया गया था।

[81] अगस्त 2017 तक व्यय केवल ₹ 27.17 करोड़ था जो ₹ 228 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय का केवल 12 *प्रतिशत* था।